Custodial Violence in Jail

Prepared By:-

Shiny Dubey
BA.LLB (2nd Sem),
KIIT Law School
Bhubaneswar,
Odisha

Vivek Singh
BA.LLB (2nd Sem)
KIIT Law School
Bhubaneswar,
Odisha

Under the guidance of Hon'ble Mr. Justice N.K. Jain.
(Former Chief justice of Madras and
Karnataka High Court)

RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION, JAIPUR

Projects by Law Students

Under the guidance of

Chairperson ,
Justice N.K. Jain
(Former Chief Justice
High Court of Madras & Karnataka)

With best Compliments
RSHRC

RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

Under the guidance of
Hon'ble Mr. Justice
N.K. Jain.
(Former Chief justice of
Madras and Karnataka
High Court)
Chairperson, RSHRC

Prepared by:-Internship students of various law university and colleges.

HUMAN RIGHTS COMMISSION

- **Human Rights Commission is an autonomous body to protect and promote basic rights of citizens. Its primary aim is to help every deprived person to acquire equal status in society.**
- **By the Parliamentary act there is National Human Rights Commission at New Delhi and each state has State Human Rights Commission. This commission has power equivalent to a civil court. It has equivalent power to hear the plea of sufferer and give recommendation to concerned department to work on it. Its recommendation has a high stake and non performance on its recommendation can lead to questioning in the Legislative Assembly. Otherwise the government has to give reason for not compliance. The commission or the other party can file writ petition in the High Court.**

Hon'ble Chairperson and Members Of Rajasthan State Human Rights Commission are :

From 06-07-2005

Justice N K Jain, Chairperson

Members

Justice Jagat Singh

Shri D.S.Meena

Shri Pukhraj Seervi

Hon'ble Chief *Minister Shri Ashok Gehlot*

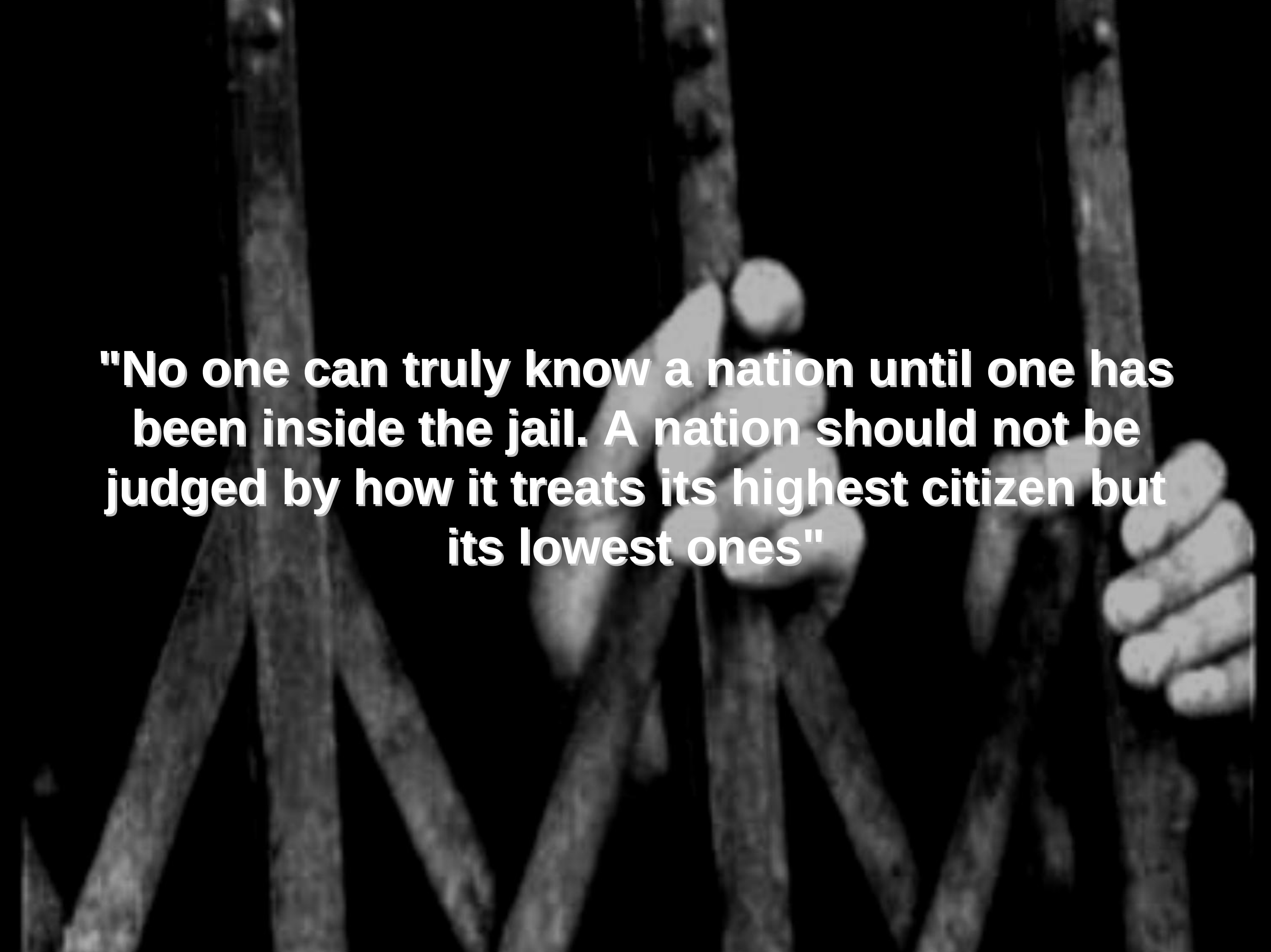
"No one can truly know a nation until one has been inside the jail. A nation should not be judged by how it treats its highest citizen but its lowest ones"

Introduction

- 'Torture' has not been defined in the Constitution of India or in other penal laws. The torture of a human being by another human being is essentially an instrument to impose the will of the 'strong' over the 'weak' by suffering. It is the shadow of civilization

- `*Custodial Violence*' is a naked violation of human dignity and degradation, which destroys, to a very large extent, the individual personality.

- It is a calculated assault on human dignity and whatever human dignity is wounded, civilization takes a

- Custodial violence and abuse of police power is not only peculiar to this country but it is also widespread.

- Custodial violence including torture and death in jail strike a blow at the rule of law but also that the same must be limited by law.

- It is aggravated by the fact that it is committed by persons who are supposed to be the protectors of the citizen. It is committed under the '*shield of uniform*' and within four walls of a jail, the victim being totally helpless.

Forms of Custodial Crimes

- Custodial Death
- Groundless arrest and detention
- Unnecessary harassment and atrocities.

Directions for Jails by RSHRC

1. Complaint No. -07/17/3061- RSHRC directed DG Jails to take effective steps to curb irregularities and exploitation in jails.

2. Complaint No. 08/18/418- RSHRC sought details from Principal Secretary Home Department, Government of Rajasthan regarding the expenditure incurred on electricity and related facilities given to prisoners in open jail.

3. Complaint No. 08/17/3282- The matter pertaining to the complainant having a criminal character and his being associated with a political party was brought to the notice of senior members of the same political party.

4. It was learnt that delay in receiving FSL Report in respect of under-trial/convicted prisoners and deaths in judicial custody was mainly due to

5. DG, Jails, Rajasthan was asked to ensure that the prisoners received the due facilities and their medical check up was also done regularly.

6. Complaint No. 2/23/1881- The RSHRC directed that the heirs of the deceased prisoner be given an interim assistance amounting to Rs 50,000/- as compensation.

7. Inspection was carried out of the Central Jail, Jaipur by member and Secretary of RSHRC namely Shri Pukhraj Seervi and Shri Giriraj Singh on 18-01-2007 and the following recommendations were made to the State Government – lack of adequate jail staff, requirement of modern techniques for security, posting of lab technician in jail hospital, making available ambulance for sick prisoners, increasing number of wards in proportion to number of prisoners etc.

8. Complaint No. 07/17/2196- RSHRC sought explanation of DG Jail on a complaint pertaining to physical and mental torture and inhuman treatment meted out to prisoners in jail.

9. Complaint No. 06/24/3080- In compliance of directions issued by RSHRC instructions are passed by DG Jail Rajasthan to all DIGs etc. to ensure that prisoners were not beaten up or forced into labour, and that monetary exploitation and extortion did not take place.

10. Complaint No.07/17/2439- The Jail administration was instructed to ensure order as per law in the jail premises so that no complaints were received from prisoners.

Prisoner`s Rights

- The movement for **prisoners' rights** is based on the principle that prisoners, even though they are deprived of liberty, are still entitled to basic human rights. Advocates for prisoners' rights argue that they are often deprived of very basic human rights, with the cooperation of the prison authorities. Alleged violations often include:
- Prison authorities turning a blind eye to assault or rape of prisoners, failing to take sufficient steps to protect prisoners from assault or rape, or even allegedly arranging for prisoners to be assaulted or raped by other inmates as a form of punishment.
- Providing insufficient treatment for serious medical conditions

- ❖ Refusing freedom of expression, to read materials, and communicate.
- ❖ Punishing prisoners who raise complaints about bad conditions
- ❖ Taking away prisoners' rights to sue prison officials or governments for maltreatment, or to receive compensation for injuries caused by the negligence of prison authorities.
- ❖ Depriving inmates of freedom of religion.
- ❖ Blockading inmates rights to legal materials and access to the courts.
- ❖ Not properly feeding and clothing the pri
- ❖ Disenfranchising prisoners.

- Prisoner receiving material of personal use
- As a corollary of the above, the following list represents a part of a prisoner's rights:
- Right to be protected by authorities in the case of assault or rape
- Right to Medical Treatment
- Right to freedom of expression, reading materials, and communication
- Right to express concern with the prison's standard of living
- Right to a court of law with regards to prison authorities
- Right to freedom of religion
- Right to access to a court of law (mentioned above)
- Right to drink safe water and get treated as same as everyone else
- Right to food and clothing

Situation In Jail

CENTRAL JAIL, JAIPUR, RAJASTHAN WOMEN'S CELL

- Total number of inmates= **179** (including 12 children, upto 6 years
- Rigorous Imprisonment = **112** (6 children)
- Simple Imprisonment = **15** (1 child)
- Foreigners = **2** (1 child)
- Under-trials = **50**

- **Number of Barracks = 8** (each housing about 20-25 inmates)
- Each barrack has :
  - Inbuilt toilet and bath facility, which the inmates can use in the nights, or when they are locked in the rooms.
  - Approximate 7 fans present in each room.
  - 4 open shelves of 5x3 feet to keep personal belongings.

- Inmates are classified in the barracks *alphabetically*. Inmates having children can keep them with themselves.

- **Number of Solitary Confinement Barracks = 4** (at present no-one has been kept there)

जेल प्रशासन से तलब कैदियों की मौत के सबब

कार्यालय संवाददाता
जयपुर, 19 नवम्बर।

राज्य की जेलों में आए दिन कैदियों की मौत के मामलों को राज्य मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने जेल प्रशासन से जानना चाहा है कि पिछले दिनों में कैदियों की मौतें बीमारी से ही हुई या कोई अन्य कारण रहे। इसके साथ ही आयोग ने कहा है कि कैदियों को जेल मैनुअल के मुताबिक बेहतर इलाज की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।

आयोग ने जेल प्रशासन से पूछा है कि जेल में प्रवेश से पहले नियमानुसार कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है या नहीं, क्या ज्यादातर कैदियों की मौत उसी बीमारी से हुई जो उसे जेल में प्रवेश से पहले होने वाले स्वास्थ्य परीक्षण के समय थी। अगर जेल में आने के बाद कैदी बीमार होता है तो उसके कारण और इलाज की क्या व्यवस्था है, उसका इलाज करवाने का रिकॉर्ड संधारित किया जाता है या नहीं।

आयोग को इस बारे में अलग-अलग शिकायतें मिली थीं कि प्रदेश की छोटी जेलों में कई जगह तो डॉक्टर नहीं है और ज्यादातर में डिस्पेंसरी की व्यवस्था नहीं है। गंभीर रोगियों को भी समय पर इलाज नहीं मिल पाता। छोटी जेलों से रोगियों को इलाज के लिए बाहर तब तक नहीं भेजा जाता जब तक वह मरणासन्न न हो जाए। बड़ी जेलों में भी उन्हीं कैदियों को अच्छे इलाज की सुविधाएं मिलती हैं जो या तो पहुंच वाले होते हैं अथवा सुविधा शुल्क देने में सक्षम होते हैं।

इस बात के कई उदाहरण मौजूद हैं कि नामचीन या पहुंच वाले आदतन और कुख्यात अपराधी इलाज के बहाने अपनी सजा का ज्यादातर समय जेल से बाहर अस्पताल के कॉटेज वार्डों में ही बिताते हैं। सूत्रों के अनुसार राजस्थान की जेलों में हर समय औसतन 13 हजार बंदी रहते हैं। इनमें से हर साल औसतन 40 कैदियों की मृत्यु हो जाती है। इनमें से राजधानी की जेल में 15 से 20 कैदियों की मृत्यु होती है। आमतौर पर कैदियों की मृत्यु का कारण अस्थमा, हार्ट और पेट संबंधी बीमारियां ही होती हैं। जयपुर में बीमारियों से मरने वाले कैदियों की संख्या ज्यादा होने के पीछे एक कारण यह भी है कि प्रदेश के सभी जिलों से गंभीर बीमारी वाले रोगियों को इलाज के लिए जयपुर ही भेजा जाता है।

सूत्रों के अनुसार जेल नियमों में यह प्रावधान है कि जेल में किसी भी बंदी का प्रवेश से पहले स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। परीक्षण में अगर कोई बीमारी पायी जाती है तो उसे अच्छे इलाज की सुविधा दी जाएगी और इलाज का पूरा विवरण रखा जाएगा। कुछ अपवादों को छोड़कर ज्यादातर जेलों में इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। इसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां भी हैं क्योंकि अदालतों से सजा वाले मामलों में कैदियों के वारंट ही कई बार शाम को देर से मिलते हैं और सूरज ढलने के बाद कैदियों को जेल में प्रवेश देने की व्यवस्था नहीं है। इस स्थिति में जल्दबाजी इतनी करनी पड़ती है कि कई बार बिना स्वास्थ्य परीक्षण के ही कैदी को अंदर करना पड़ता है।

> प्रदेश की बड़ी जेलों में चूंकि डिस्पेंसरियों की व्यवस्था है, इसलिए बंदियों को स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद ही प्रवेश कराया जाता है और उन्हें बेहतर इलाज की सुविधा भी दिलाई जाती है। जहां तक छोटी जेलों में स्वास्थ्य परीक्षण की बात है तो वहां बाहर से डॉक्टर बुलाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराना पड़ता है। अगर किसी कारणवश समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो तो बंदी से ही उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेकर प्रवेश करवा दिया जाता है। – जे.के. शर्मा, महानिरीक्षक-कारागार

हिरासत में मौत के मामलों में आयोग ने जानकारी मांगी

राज्य मानवाधिकार आयोग ने हिरासत में मौत के एक मामले में जहां बंदी को मरने से पहले उपलब्ध कराए गए उपचार के बारे में जानकारी मांगी है, वहीं एक अन्य बंदी की मौत के मामले में उसकी गिरफ्तारी के समय स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट तलब की है। आयोग के समक्ष विचाराधीन एक मामला इस साल सितम्बर में बांदीकुई कारावास में मरने वाले जौहरी लाल बैरवा से सम्बन्धित है, जबकि 2001 में कोटा जेल में मरने वाले नईम से सम्बन्धित है।

- Regular tailoring classes are organized by an NGO **Chand Shilp Shala**.
- The main objective of teaching tailoring to the ladies is that after they are released from the prison they can make a living on their own.
- NGOs like the **State Resource Centre** organizes courses for making vaseline, balms, aggarbatti, candles, mehendi, rangoli, soft-toys, jute hangings, bag etc. at regular intervals for a period of about 15 days.
- SRC has also taken up the responsibility of adult education in prisons.
- For the **RECREATION** of the prisoners some cultural events are organized either by some NGOs or by some nearby schools.

- Sometimes even the inmates are allowed to put up some programmes like plays etc., which keeps them busy for a few number of days.
- A **CRÈCHE** has been made for the children present.
- There are facilities like a television, carrom board, books, cycles, chairs, toys etc.
- The room is furnished with 4-5 long benches, 6 fans and a cooler.
- There is vast **OPEN AREA** all around the barracks, so that the inmates do not feel congested, and can roam about.
- There are swings, slides etc. for the children too.
- The Jail officials have got a **TEMPLE** constructed within the premises of the Jail for the prisoners' personal well being. At the time when they are allowed outside their barracks, some of the women can be seen reciting holy scriptures etc.
- Outside the barracks there are **5 toilet** and **5 bathing facilities**.

- The job of cleaning the facilities is on the inmates themselves.
- The **food** is also prepared by the inmates, though the ration is brought by the jail officials. Those preparing the food are decided by the process of rotation.

- **VISITORS**

- There is no restriction as to who can meet the prisoners, but close relations are given preference over friends and others.
- Visitors are allowed:
- On weekly basis for under-trials; and
- Every 15 days for Convicts .

❖ MEDICAL FACILITY

- A <u>Doctor</u> has been appointed for the jail inmates who is available from morning till evening in the campus, and rest of the time is accessible on call.
- A <u>Nurse</u> is present 24x7.
- Small room has been made a <u>hospital</u> which consists of 2 beds and inbuilt bath and toilet facilities.
- <u>Regular Medical Examination Camps</u> are set up at an interval of 2-3 months where a gynaecologist is called, tests for eyes, dental, children, HIV etc. tests are done.
- When a new entrant comes, she is made to undergo a complete medical examination, which includes a pregnancy test.

जेल, कारावास से सम्बन्धित प्रावधान व गतिविधियाँ

*न्यायमूर्ति एन. के. जैन

कारावास सम्बधित प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, के अध्याय 32 में सेक्शनस् 413 से 435 में वर्णित है। धारा–417 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, के अनुसार, किसी व्यक्ति जिसे कारावासित किया जाना हो, उसे जेल में भेजने के लिए न्यायालय या मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकता है। राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि कारावासित व्यक्ति को किस स्थान में परिरूद्ध किया जाएगा।

संविधान और दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कारावास का निलम्बन, परिहार और लघुकरण किया जा सकता है।

जेलों का वातावरण सुधारने के प्रयास में आयोग द्वारा दिनांक 25/1/2006 को कार्यशाला आयोजित की गई । जिसमें राज्य के माननीय ग हमंत्री, न्यायाधिपति श्री आर.एस. चौहान, डी.जी.,जेल्स्, गृहसचिव, विधि सचिव, राज्य के सम्बन्धित जेल अधिकारीगण व राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्ष ने कारावासित व्यक्तियों की सुधारात्मक कार्यवाही के लिए चर्चा की । जेल में बंदियों की आकास्मिक मृत्यु व प्रताड़ना आदि सम्बन्ध में चर्चा हुई तथा कार्यशालाओं में कहा गया कि जेलों में मरम्मत, साफ-सफाई के साथ जेलों का वातावरण सुधारने पर ही बंदी का आचरण सुधर सकता है। जेल में आते ही बंदी का स्वास्थ्य परीक्षण हो । पैरोल पर छोड़ने की नीति लचीली होनी चाहिए। बंदियों को बेहतर इंसान बनाने के लिए उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरी कार्यशाला दिनांक 9/10/2006 को डी.जी. जेल्स्, संबंधित आई.जी., पुलिस एवं जेल अधिकारीगण व सामाजिक व स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ आयोजित की गई।

जेल अधिकारी एवं कर्मचारी वस्तुस्थिति के साथ संवदेनशील होकर कार्य करें। आयोग ने अपनी रिपोर्ट व सुझाव संबंधित अधिकारियों के साथ राज्य सरकार को भी प्रेषित की।

आयोग के प्रयास पर माननीय डी.जी., जेल द्वारा कारागृहों में चल रही सुधारात्मक गतिविधियाँ की कुछ जानकारी प्राप्त की गई है। जिससे जेल में अपनी सजा के दौरान निरक्षर बंदियों को साक्षर बनाने के साथ शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उद्योगों की जानकारी व परिक्षण व अपनी सजा भुगतने के बाद समाज में आकर बेहतर नागरिक बनाकर अपना तथा अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सकें ।

इसके अलावा कई आधुनिकरण योजनाओं पर विचार चल रहे है। साथ में जयपुर जेल में बेकरी, उदयपुर में गौशाला, जोधपुर में बंदी खेलकूद एवं सास्कृंतिक प्रतियोगिता भविष्य में अलग से आयोजित करने का विचार है ।

इसकी कुछ सक्षिप्त जानकारी जनहित में व खासतौर से कारावासित व्यक्तियों के लिए दी जा रही है । जिससे उनको लाभ मिल सकें व जेल के बाद अच्छे नागरिक साबित हो।

सुधारात्मक गतिविधियाँ जैसे –

1. कारागृहों में शैक्षणिक कार्यक्रम :

(अ) साक्षरता

कारागृहों में भी शिक्षित बंदियों द्वारा निरक्षर बंदियों को साक्षर करने के लिये प्रेरित किया जाता है।

(ब) उच्च शिक्षा

बंदियों को कारागृह में रहते हुए अपनी शिक्षा में बढ़ोतरी करने के लिए औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमान्तर्गत राज्य के माध्यमिक बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में बैठने की सुविधाएं सुलभ कराई जाती हैं।

(स) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का

अध्ययन केन्द्र स्थापित है। इस केन्द्र में विभिन्न व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में बंदियों द्वारा शिक्षा गृहण करने का प्रावधान किया हुआ है।

इग्नू के अधिकांश पाठयक्रम बंदियों को रोजगार दिलाने में सहायक हैं। इससे बंदी स्वावलंबी हो सकेगें एवं कारागृहों से रिहा होने के बाद समाज में पुर्नस्थापित होकर अपना स्थान बना सकेगें।

2. तकनीकी शिक्षा

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर एवं अजमेर में राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से एक आई.टी.आई. संचालित है। इसमें दंडित बंदियों को सजा भुगतते हुए फिटर एवं हाउस वायरिंग पाठ्यक्रमों का दो वर्षीय कोर्स एवं मैकेनिक डीजल, कारपेन्ट्री, वायरमैन कंटिग एवं रिवगं का प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है।

3. चिकित्सा सुविधाएं

राजस्थान राज्य की कारागृहों में बंदियों के स्वास्थ्य की सुचारू देख रेख की व्यवस्थाएं की जा रही है। इस हेतु राज्य की केन्द्रीय एवं "ए" श्रेणी जिला कारागृहों पर पूर्णकालीन चिकित्सा अधिकारियों व पूर्ण कालीन औषधी संयोजक व अंशकालीन चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत है। तथा समस्त उप कारागृहों हेतु अंशकालीन औषधी संयोजक व चिकित्साधिकारियों के पद स्वीकृत है। ईलाज हेतु वहाँ स्थित राजकीय चिकित्सालयों में भी भेजा जाता है। जेल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत केन्द्रीय कारागृह जयपुर एवं जोधपुर में पैथोलोजिक लैब की स्थापना की गई है। जिसमें बंदियों को अल्ट्रा साउण्ड सिस्टम, एक्स–रे सिस्टम, एक्स–रे मशीन, सेमी ऑटो एनेलाइजर और ऑडियो मॉनिटर आदि की सुविधा उपलब्धता की व्यवस्था की गई है। पैथोलोजिकल लैब हेतु 2 जूनियर स्पेशलिस्ट (रेडियो डायग्नोसिस) 2 सहायक रेडियो ग्राफर एवं 2 लैब टेक्निशियन के पद बंदियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से स्वीकृत कराये गये हैं।

4. बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता

राज्य की कारागृहों में बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाने में सहयोग के लिए विधिक सहायता केन्द्र खुले हुए है।

5. बंदियों को कारवास कालीन अवकाश सुविधा (पैरोल)

बंदियों में अनुशासन एवं सदाचार की भावना विकसित करने के उददेश्य से इन्हें कारावास कालीन सामान्य नियमित अवकाश सुविधा प्रदत्त की जाती है। इसके अतिरिक्त बंदी के निकट संबंधी की मृत्यु गंभीर बीमारी, विवाह हेतु तत्काल पैरोल जेल अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट/ महानिरीक्षक कारागार द्वारा प्रदान किया जाता है।

6. बंदियों को बंदी खुले शिविरों में भेजना

बंदियों में अच्छे एवं स्व–अनुशासन के आचरण को बढ़ावा देने के लिए रिहाई से पूर्व बंदी खुले शिविरों में रहकर इन्हें सामाजिक समायोजन एवं आर्थिक रूप से स्वयं निर्भरता अर्जित करने का अवसर दिया जाता है । राजस्थान बंदी खुला शिविर नियम 1972 के नियमों के अन्तर्गत राज्य की कारागृहों के ऐसे बंदियों को जिन्होंने अपनी कुल सजा का 1/3 भाग रेमीशन सहित पूरा कर लिया है और जिनका आचरण काराग हों में अच्छा रहा है, को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर बंदियों को खुले बन्दी शिविरों में भेजा जाता है।

7. बंदियों को समयपूर्व रिहाई

सजा भुगतने के दौरान बंदियों में हुए सुधार को दृष्टिगत रखते हुए शेष सजा माफ कर समय पूर्व रिहाई करके इन्हें समाज में पुर्नस्थापित होने का अवसर दिया जाता है। राजस्थान प्रिजन्स (शार्टनिंग ऑफ सैन्टेन्सेज) रूल्स, 1958 के अन्तर्गत दण्डित बंदियों को समय पूर्व रिहाई के मामलों पर विचार हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों पर सलाहकार मंडलों का गठन किया हुआ है। सलाहकार मण्डल बंदियों के समय पूर्व रिहाई प्रकरणों पर विचार कर बंदियों को छोड़े जाने की सिफारिश राज्य सरकार को करते है और राज्य सरकार द्वारा सलाहकार मण्डलों की सिफारिश को दृष्टि में रखकर बंदियों को समय पूर्व छोड़े या छोड़े जाने का निर्णय लिया जाता है।

8. विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों का पुनरीक्षण

कारागृह में बंद विचारधीन बंदियों के प्रकरणों की आवधिक समीक्षा के

लिए प्रत्येक जेल में एक समिति का गठन किया हुआ है। इस समिति में मुख्य न्यायिक दण्डनायक अध्यक्ष, जिला दण्डनायक का प्रतिनिधि, अधीक्षक आरक्षी का प्रतिनिधि, जिला परीवीक्षा अधिकारी, सदस्य व प्रभाराधिकारी, जिला कारागृह सदस्य सचिव होते है। राज्य सरकार द्वारा इस समिति में प्रत्येक जिले में दो–दो जन प्रतिनिधियों को गैर –सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। इस समिति की बैठक प्रतिमाह करने का प्रावधान है। जिसमें लंबी अवधि से विचाराधीन रहते हुए न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा की जाकर प्रकरणों के निरस्तारण बाबत सुझाव दिए जाते है।

9. बंदी कल्याण कोष

कारागार में बंदियों के कल्याण संबंधी कार्य हेतु बंदी कल्याण कोष की स्थापना की हुई है। बंदियों को चिकित्सक की राय से चश्मा, परीक्षा शुल्क/पुस्तकें, लेखन सामग्री एवं खेलकूद , मनोरंजन के उपकरण क्रय करने, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने/ उत्सवों के आयोजन एवं प्रवचन एवं पाठ आदि पर होने वाला व्यय इस कोष से वहन किया जाता है।

10. खेलकूद एवं मनोरंजन सुविधा

बंदियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए इन्हें खेलकूद एवं मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। देश विदेश की ताजा घटनाओं की जानकारी एवं ज्ञानवर्धन हेतु समाचार–पत्र, पत्रिकाएं पुस्तकें आदि दी जाती है। कारागृहों में टी.वी. रेडियों, कैसेट प्लेयर आदि की सुविधा भी उपलब्ध है। समय–समय पर ज्ञानवर्धक चलचित्र भी बंदियों को दिखाए जाते है। बंदियों के लिए योग, आर्ट ऑफ लिविंग, विपश्यना, प्रेक्षाध्यान के शिविर स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से लगवाये जाते हैं। उन्हें चरित्र निर्माण संबंधी एवं अन्य नैतिक शिक्ष/धर्मज्ञान के संदेश भी अपेदशकों के माध्यम से दिये जाते हैं।

11. बंदी बैण्ड

राजस्थान राज्य की केन्द्रीय, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा पर बंदी बैण्ड स्थापित है इन कारागृहों पर बंदियों को बैण्ड के वाद्य यंत्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा निजी उत्सवों पर निर्धारित शुल्क पर बंदी बैण्ड भेजे जाते हैं तथा इनसे प्राप्त आया का आधा भाग बंदी बैण्ड में कार्य करने वाले बंदियों में वितरित किया जाता हैं तथा शेष आधे भाग का उपयोग बैण्ड के साजो सामान को क्रय करने, उनकी मरम्मत आदि पर व्यय किया जाता है।

12. कारागृह उद्योग

राज्य की 9 कारागृहों में दंडित बंदियों को विभिन्न व्यवसायों यथा दरी, निवार, कपड़ा बुनाई, सिलाई, कारपेन्ट्री, होजरी, लुहारी आदि में प्रशिक्षित किया जाता है। कपड़ा बुनने के लिए पावर चलित मशीने स्थापित की गई है। उद्योगों में बंदियों को दो श्रेणियों में (अकुशल व कुशल) विभक्त कर अकुशल श्रमिक को 9 रूपये प्रति दिवस का नियत कार्य करने पर कुशल श्रमिक को 11 रूपये प्रति दिवस का नियत कार्य पूरा करने पर श्रम भुगतान का नियमों में प्रावधान करवाया गया है इस राशि में से 25 प्रतिशत हिस्सा पीड़ित पक्ष को भुगतान हेतु आरक्षित रखने का प्रावधान भी किया गया है ।

बंदियों को भी उनके द्वारा जाने–अनजाने में किये गये अपराधों का प्रायश्चित करने एवं दुबारा अपराध में लिप्त न होने का संकल्प लेने के साथ–साथ आत्मचिन्तन करना होगा। उन्हें अपने भावी जीवन में आम नागरिक बनकर आत्मविश्वास को जागृत करने एवं अपने पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन को सफल बनाने की सोच को उजागर करने का पुनः अवसर मिले, **इसके लिये समाज को भी अपनी सोच सकारात्मक करनी होगी।** ऐसी अपेक्षा यह आयोग करता है।

बंदियों का उनकी उम्र, सजा एवं व्यवहार के अनुसार जेल के संवेदनशील अधिकारियों को वर्गीकरण करना चाहिये। जैलों की बैरक साफ सुथरी होने के

साथ पुरूष व महिलाओं के लिए अलग–अलग सुलभ व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ एक शिकायत पुस्तिका भी होनी आवश्यक है ताकि बंदीगण अपनी रोजमर्रा की शिकायतें उसमें दर्ज करा सकें । जिससे की बंदियों में Discrimation की भावना नहीं पनपेगी। इन शिकायतों का यथा संभव निवारण करना जैल प्रशासन का दायित्व होना चाहिये। जिससे प्रशासन की भी अधिक जवाब देह एवं पारदर्शी छवि उभर कर सामने आये। महिला बंदियों के छोटे बच्चों के लिए क्रेच एवं बड़े बच्चों के लिए शिक्षा, खेलकूद, कम्प्यूटर शिक्षा एवं सभी के लिये योग/प्राणायाम के प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान करना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इस व्यवस्था से बंदियों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव एवं अपराधों की संरचना में आवश्यक रूप से कमी आयेगी। इस दिशा में जेल प्रशासन द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करने में भी गुरेज नहीं किया जाना चाहिये, अपितु ऐसी कार्यरत संस्थाओं को बंदियों के कल्याणार्थ किये जाने वाले कार्यों में मदद के लिये और अधिक प्रोत्साहित किया जाना एक सार्थक कदम होगा ।

विडियो कांफ्रेसिंग शुरू करने से सुनवाई हेतु विचाराधीन बंदियों को जेल से बाहर ले जाने एवं लाने पर होने वाले व्यय एवं असुरक्षा में भी काफी हद तक कमी आयेगी। इससे सुरक्षा कर्मियों को भी ऐसे बंदियों को बार–बार ले जाने एवं लाने की जहमत नही उठानी पड़ेगी, बल्कि इस बंदोबस्त पर होने वाले अनावश्यक खर्च पर अंकुश लगेगा तथा किसी भी अप्रिय घटना को प्रतिरूप देने की अपराधिक गतिविधियों पर प्रत्यक्ष रोक लगेगी एवं कोर्ट परिसरों में बैरक्स की कमी भी नहीं खलेगी।

हालांकि राज्य सरकार जैल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कल्याण एवं उनकी सुविधाओं के संबंध में पूर्ण जागरूक है, फिर भी आयोग यह महसूस करता है कि संबंध में सरकार को बहुत कुछ करना है तथा अपेक्षा करता है कि जेलकर्मियों एवं उनके परिवार के बेहतर भविष्य के लिये राज्य सरकार एक कार्ययोजना लागू करे। ताकि उनकी सेवाओं के मध्यनजर समय

पर पदौन्नति, कार्यक्षमता एवं योग्यतानुसार कार्य का निर्धारण एवं सुरक्षा आदि सुनिश्चित की जा सके। जिससे जेलकर्मी भी निश्चित होकर समर्पित व संवेदनशीलता से अपनी सेवायें प्रदान कर सकें ।

इसके अलावा सुधार के नये प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए तथा समर्पित स्वयं सेवी संस्थाओं से मदद लेनी चाहिए।

सभी कुछ सरकार व प्रशासन की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जिससे सभी अधिकारी व जेलकर्मियों के अधिक संवेदनशीलता से काम करने पर मानवाधिकारों के हनन को रोकने में कमी आयेगी ऐसा आयोग का मानना है।

आशा है कि कारावासित व्यक्तियों के लिए उपरोक्त जेल की गतिविधियों की जानकारी का फायदा लेगें। सभी जेल में कार्यरत पुलिसकर्मी मानवीय संवेदनशीलता से काम करेंगे तथा योजनाओं को क्रियान्वित करने में अपना पूरा सहयोग देगें। डी.जी., जेल्स व होम डिपार्टमेंट का इन योजनाओं को पूरी तरह पालन करायें। इसके अलावा सरकार का यह भी दायित्व है कि पीड़ित पक्ष के लिए कोई ठोस योजना जेल अधिकारियों के माध्यम से या सरकार स्वयं बनाये, ऐसी अपेक्षा है।

राज्य मानवाधिकार आयोग अपने लीगल लिट्रेसी एवं अवेयरनेस प्रोग्राम की कड़ी में यह तेरहवीं बुकलेट ''जेल, कारावास में सुधारात्मक गतिविधियॉं'' द्वारा नागरिकों व कारावासित व्यक्तियों के हित में प्रकाशित की जा रही है।

आशा है इस बुकलेट के माध्यम से कारावासित व्यक्तियों को सुयोग्य नागिरक बनने में मदद मिलें व नागरिकों के मानवाधिकार के हनन को रोकने में कमी आयें।

30.10.2006 ❑ ❑

* अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, मद्रास व कर्नाटक हाईकोर्ट।
आर-3, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302 005

Reciting the Pledge — fundamental duties mentioned in Article 51-A, Constitution of India

"We are proud to be Indian"

It shall be the duty of every citizen of India:

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals, which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.

"BE AWARE OF YOUR RIGHTS AND DISCHARGE DUTY WITH DEVOTION ."

Chairperson : Justice N.K. Jain (Former Chief Justice - Madras and Karnataka High Court)

For Legal awareness and in Public Interest published by :
Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur

website : rshrc.nic.in, herenow4u.de http://justicenagendrakjain.com

Courtesy : Rajasthan State Co-operative Press Ltd., Jaipur
Phone : 0141-2751417, 2751352

आर्टिकल–51ए में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूकता

(कलैण्डर्स, पेम्पलेट्स, पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशन के माध्यम से)

प्रायः यह देखा गया है कि आज हर व्यक्ति अपने अधिकारों की ही बात कर रहा है। परन्तु हम अपने कर्त्तव्यों के प्रति कम सजग है। इसलिए लोगों में मानवीय अधिकारों के साथ कर्त्तव्यों के प्रति सजग रहने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जस्टिस एन0के0जैन ने *भारतीय संविधान के अनुच्छेद–51–ए* में वर्णित मुख्य कर्त्तव्यों की मंशा के अनुरूप का एक प्रारूप तैयार करवा कर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं/ विभागों/संस्थाओं को भेजकर एक नई मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम के तहत् करीब 100 स्कूल/संस्थाओं में सुबह की प्रार्थना के समय यह संकल्प को दोहराया जा रहा है, जो प्रशंसनीय है। इसके अलावा अन्य कई संस्थाओं में भी संकल्प की यह प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय का मानना है कि इस संकल्प से व्यक्तियों में अच्छे संस्कारों के साथ–साथ मानवीय मूल्य एवं नैतिकता को बढावा मिलेगा और लोगों में अपने अधिकारों के साथ–साथ कर्त्तव्यों की पालना में भी काफी हद तक जागरूकता पैदा होगी।

1. श्री कालीचरण सर्राफ, माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री,
2. विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग,
3. श्री पी.डी. सिंह, डायरेक्टर, टैगोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन,
4. मैडम उर्मिल वर्मा, प्रिंसिपल, महावीर पब्लिक स्कूल
5. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के सम्बद्ध (Affilated) कॉलेज
6. विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग,
7. अति0 निदेशक (शैक्षिक) प्रारम्भिक शिक्षा, राज0 बीकानेर
8. मैडम प्रिया मिश्रा शेखावत, डायरेक्टर, सैन्ट्रल एकेडमी
9. श्री गोस्वामी जी व श्रीचन्द्र साहू–भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान (एन.जी.ओ. तिहाड जेल)
10. मैडम प्रेरणा अरोड़ा, 'पहल' पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर (सडक सुरक्षा हेतु एन.जी.ओ.)
11. परम भागवत शिक्षा एवं सामाजिक विकास संस्थान, *(NIFESM)* जयपुर।
12. प्रयास, सेन्टर फॉर स्पेशल एजुकेशन एण्ड वोकेशनल ट्रेनिग
13. श्री दिगम्बर जैन नसियां उदयलाल जी ट्रस्ट, जयपुर
14. वर्ल्ड विजन इण्डिया, जयपुर
15. हैडकॉन
16. जैन अनुशीलन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय
17. नवमंगल शिक्षा समिति, जयपुर
18. जयपुर चाईल्ड लाईन– डायल 1098
19. भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान (एन.जी.ओ. तिहाड जेल)
20. विद्या ट्रस्ट, जयपुर
21. जे.पी.जे. फायनेंसियल सर्विसेज, राजापार्क, जयपुर
22. पहल, पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर
23. डायरेक्टर, टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जयपुर
24. प्रिंसिपल डी.ए.वी. सेन्टेनरी स्कूल, वैशाली नगर, जयपुर
25. श्री महावीर दिगम्बर जैन हाई स्कूल एलुमिनी एसोसियेशन, जयपुर

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

26. जयपुर बाल श्रमिक परियोजना संस्था, जयपुर
27. प्रिंसिपल सैन्ट्रल एकेडमी, महावीर नगर, जयपुर
28. राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर
29. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, राजसमन्द
30. भारतीय यूनेस्को क्लब महासंघ, राजस्थान, भीलवाडा
31. प्रेसिडेंट, लायन्स क्लब, जयपुर (District 323 E -1Club No. 026309)
32. भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, जयपुर
33. मोदी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साईस, लक्ष्मणगढ
34. प्रिंसिपल अग्रवाल बी.एड. कॉलेज, जयपुर
35. निदेशक, बियानी गर्ल्स कॉलेज, विद्याधर नगर, जयपुर
36. प्रिंसिपल, एस.वी.एम. पब्लिक स्कूल, अम्बावाडी, जयपुर
37. प्रिंसिपल, सुबोध पब्लिक स्कूल, जयपुर
38. जैसवाल कुटीर उद्योग, डी-2, रमन मार्ग, जयपुर-4
39. सुरभि एक्सपोर्ट, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, गुरुनानकपुरा, जयपुर
40. राजस्थान पेंशनर समाज/जिला पेंशनर्स समाज, जयपुर
41. K.M.G. College of B.Ed.
42. K.M.G. Teachers Training Institute
43. K.M.G. College of Arts and Science
44. Thiruvallur Elementary and Higher Secondary School, Vellore
45. *लोकशिक्षक* पत्रिका में प्रकाशन
46. जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी, जयपुर द्वारा प्रकाशित *'मृत्युंजय'* में प्रकाशन
47. राजस्थान पेंशनर्स समाज द्वारा पेंशनर्स पत्रिका में प्रकाशन
48. प्रेसिडेन्ट लायन्स क्लब *(District 323 E--1 Club No. 026309)* व जैना प्रिंटर्स, जयपुर
49. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर
50. भारतवर्षीय दिगम्बन जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी मुम्बई, राजस्थान अंचल
51. विद्यास्थली ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्युशन्स, जयपुर
52. रेडिमेड सेन्टर, जौहरी बाजार, जयपुर
53. Cosmic Yoga Combine, Kanti Nagar, Station Road, Jaipur
54. Jaipur Diabities &Research Centre, Near Ridhi-Sidhi, Gopalpura Bypass, Jaipur
55. विनायक फार्मा, डी–74 घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर
56. श्रीमती ललिता देवी, रामचन्द्र कासलीवाल ट्रस्ट, जयपुर
57. जयपुर जिला बैडमिन्टन एसोसियेशन, जयपुर
58. राजस्थान पॉलिटेकनिक कॉलेज, रतनगढ (चुरू) व सम्बल सेवा संस्थान, जयपुर।
59. Dr. B.Lal Clinical Laborty, Jaipur.
60. वैशाली हितकारी संगठन नागरिक हितों का सजग प्रहरी, जयपुर
61. राजधानी होटल, जयपुर।
62. हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग, श्री देश दीपक

आयोग की इस मुहिम को पूर्व वर्षो में उक्त 62 संस्थाओं द्वारा जनजागरूकता एवं संरक्षण कार्यक्रम में अपने आपको जोडते हुए मुहिम को आगे बढाया। इसी कडी में वर्ष 2009—2010 में भी बहुत सी संस्थाओं द्वारा आयोग के जन जान—जागरुकता के कार्यक्रम को बढ़तो हुये सूचित किया गया है। जिनमें से कुछ निम्नांकित है :—

63. जयपुर थियोसोफिकल लॉज, जयपुर
64. महेश्वरी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, जयपुर
65. कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, जयपुर
66. Zunitech Consulting Pvt. Ltd. Banglore/ Delhi
67. राजधानी हास्पीटल, जयपुर
68. श्रीमती ललिता देवी रामचन्द्र कासलीवाल चेरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर
69. धामू एण्ड कम्पनी, जयपुर
70. विमुक्ति संस्थान, जयपुर
71. भारतीय दिगम्बर तीर्थ क्षेत्र कमेटी, मुम्बई
72. श्री देश दीपक, सचिव लोकायुक्त सचिवालय, हिमाचल प्रदेश
73. जयपुर नगर निगम
74. अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा पत्रिका, मथुरा
75. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, सी.पी. टेंक, मुम्बई ।
76. राजस्थान जैन सभा, जौहरी बाजार, जयपुर ।
77. हैल्प एज {इण्डिया} जवाहर नगर, जयपुर {हिन्दी / अंग्रेजी}
78. सम्बल सेवा संस्थान, रतनगढ़ चुरु ।
79. स्व0 श्री गणेशमल बैद राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, रतनगढ़।
80. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन {धर्म संरक्षिणी} महासभा, नई दिल्ली ।
81. कमिश्नर मुख्यालय, नगर निगम, जयपुर ।
82. यातायात पुलिस, जयपुर
83. विंग ऑफ रिसर्च इन लोकल डेवलपमेन्ट *WORLD* जयपुर
84. श्री महावीर दिगम्बर जैन हाई सैकडरी स्कूल एलुमनी एसोसियेशन, जयपुर (हिन्दी / अंग्रेजी)
85. M.D. Group of Education, Sikandara, Agra (English/Hindi)
86. गीता बजाज महाविद्यालय, जयपुर
87. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, राजस्थान अंचल, जयपुर
88. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
89. The Little Pixies School, Vidyut Nagar, Jaipur
90. दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान, जयपुर
91. लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान
92. देश और व्यापार बीकानेर से प्रकाशित मासिक पत्रिका
93. निदेशक, राजस्थान पुलिस एकेडमी, नेहरू नगर, जयपुर
94. दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीर जी, करौली
95. Children's Educational Society, Bhilwara
96. माँ माधुरी बृज वारिस सेवा सेदन, बझेरा (भरतपुर)
97. विद्या ट्रस्ट, 19, कीर्ति नगर, श्याम नगर, जयपुर (पुनःप्रकाशित)
98. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर (पुनःप्रकाशित)

Students reciting the oath of section 51(A) of Constitution of India under the guidelines of RSHRC.

- In addition to that in legal literacy and awareness program, chairman motivated students and even general public to recite the pledge as mentioned in article 51(A) of Constitution of India. It is good sign that so many schools have started taking prayer as per instructions of different concerned authorities as per the request of the commission. Some of them are as follows:-

बियानी गर्ल्स कॉलेज विद्याधर नगर, जयपुर में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर छात्राओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 51ए का संकल्प दिलाते कॉलेज के वाइज प्रिंसीपल पी.सी. जांगिड।

गीता संदेश यात्रा जेल में पहुंची

जयपुर,(विजय केडिया): गीता संदेश यात्रा बुधवार को जयपुर कारागार पहुंची। जयपुर कारागार में बंदियों ने भगवान श्रीकृष्ण की जय, गोविन्द महाराज की जय और नंद के लाला की जय से जेल की दीवारों को गुंजायमान कर दिया।

अपराध मुक्त समाज निर्माण को यात्रा का लक्ष्य बनाया गया है। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के संथापक रामकृष्ण गोस्वामी के नेतृत्व में 23 अगस्त को बिरला मंदिर के गीता भवन दिल्ली से अभियान का श्रीगणेश हुआ था। जयपुर कारागार में श्रीकृष्ण के बाल रूप एवं विश्वात्मा श्रीकृष्ण के स्वरूप पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा जनहित में जारी पत्रक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए द्वारा वर्णित भारतीय नागरिक के मुख्य कर्तव्यों को केन्द्रित करके संस्थान के बंदियों ने संकल्प कराया। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के.जैन और विजय शंकर पाण्डेय ने इस अवसर पर बंदियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में संस्थान के अनेक पदाधिकारियों एवं सहयोगियों ने भाग लिया। इस अवसर पर गीता की पुस्तकें बंदियों को भेंट की गई। यात्रा अगले पड़ाव में नाथद्वारा, उदयपुर एवं द्वारिका गुजरात के लिए प्रस्थान करेगी।

भरतपुर समाचार

जेल में बंदियों ने लिया रक्षा का संकल्प

भरतपुर, 25 अगस्त। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 12 दिवसीय गीता संदेश यात्रा के अन्तर्गत सेवर केन्द्रीय कारागार भरतपुर में बन्दियों ने मानव अधिकार रक्षा हेतु अपराध मुक्त समाज निर्माण का संकल्प लिया। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान दिल्ली के तत्वावधान में बिरला मंदिर दिल्ली से प्रारंभ हुई यात्रा आज तीसरे दिन भरतपुर कारागार में पहुंची तो बंदियों ने बोल गिर्राज महाराज की जय से जेल की दीवारों को गुंजा दिया। संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी ने भगवान श्रीकृष्ण के विराट रूप दर्शन के तत्वावधान से बन्दियों से अपील की अपराधों की रोकथाम और मानव अधिकारों की रक्षा के महायज्ञ में आहुति देकर ही आप बंधन से मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। श्रीचन्द साहू राष्ट्रीय सचिव भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान ने कल मथुरा की कारागार में बंदियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को संदर्भित करते हुए कहा कि गीता ज्ञान ही मानव जीवन की सफलता का विज्ञान है इसके बिना परिवार और समाज की सुरक्षा संभव हीं नही है। समाज सेवी एवं अधिवक्ता सरदार महेन्द्र सिंह मग्गो ने अपने विचार रखते हुए कहा कि ज्ञान ही भगवान है अज्ञान ही शैतान है इसलिये शैतान से मुक्ति हेतु गीता ज्ञान की परम आवश्यकता है। सरदार तारा सिंह ने विश्वात्मा श्रीकृष्ण की तस्वीर पर दुपट्टा पहनाकर और पुष्प अर्पित करके कहा कि भरतपुर कारागार बन्दी उद्धार और राष्ट्र कल्याण का अनूठा अभियान है। देवेन्द्र मित्तल ने बंदियों को गीता की पुस्तकें भेंट की और जेल से बाहर कार्यक्रम करने की अपील भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान से की। अधिवक्ता उमेश शर्मा ने भारतीय चरित्र निर्माण संस्था की पृष्ठ भूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सन् 2003 से ही संस्थान भरतपुर जेल में अपराध मुक्त समाज निर्माण अभियान में जुटा है। कारागार में जेलर श्रीराम शर्मा ने कृष्णा जन्माष्टमी पर गीता के कर्म विज्ञान में संदेश से मानव कल्याण निश्चित साधन बताते हुए कहा कि जेल सुधार और मानव अधिकार रक्षा का यह अद्वितिय अभियान है भरतपुर कारागार प्रशासन का संस्थान को पूर्ण सहयोग सदैव मिलता रहेगा। बंदी भगवान सिंह गिल्डी, कान्ता प्रसाद शर्मा, तेजवीर गुर्जर, पण्डित मुख्तियार, सीताराम एंव अन्य बन्दियों ने परमात्मा, जन्म- मृत्यु कर्म और फल के संबंध में अनेक प्रश्न पूछे जिनका समाधान रामकृष्ण गोस्वामी जी द्वारा श्रीमद्भगवत गीता में संदर्भित करते हुए किया गया। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष एनके जैन ने सुझाव दिया कि भारतीय संविधान में अनुछेद 51 ए में वर्णित देश के नागरिक के मूल कर्तव्य का संकल्प कराएं। उसी के अनुसार संस्थान ने बन्दियों संकल्प पत्र प्रदान दिया और बंदियों ने संकल्प लिया।

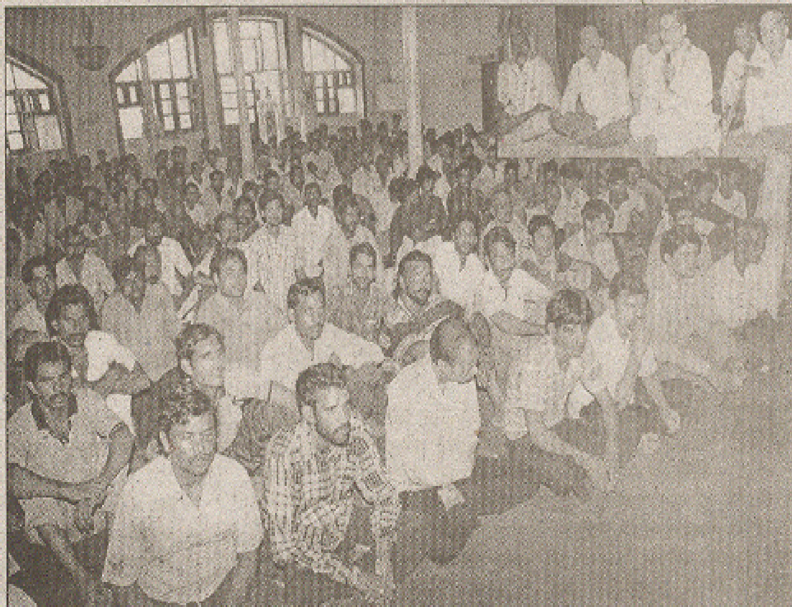

केन्द्रीय कारागार में बुधवार को गीता का ज्ञान लेते हुए कैदी। इनसैट में रामकृष्ण गोस्वामी। फोटो-श्याम

कैदियों ने सीखा गीता-सार

नगर प्रतिनिधि

जयपुर, 27 अगस्त। भगवान श्रीकृष्ण की जय, गोविन्द देवजी महाराज की जय और नन्द के लाला की जय से जेल की दीवारें उस समय गुंजायमान हो उठीं, जब गीता सन्देश यात्रा जयपुर केन्द्रीय कारागार में बुधवार को पहुंची। कैदियों को अपने जीवन में नैतिकता उतारने और बुराइयों से उभरने की प्रेरणा देते हुए न्यायाधीश एन.के.जैन ने मानवाधिकार और संविधान के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर जेल अधीक्षक वी.के.माथुर और उपाधीक्षक सुमन मालीवाल के साथ अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित मानव अधिकार रक्षा अभियान के रूप में भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के सहयोग से संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी के नेतृत्व में 23 अगस्त को बिड़ला मन्दिर के गीता भवन(दिल्ली) से अभियान की शुरुआत की गई। कारागार की श्रृंखला में मथुरा, भरतपुर एवं अलवर के हजारों बन्दियों को श्रीरामकृष्ण गोस्वामी ने भगवद गीता का सार बताया।

कर्म ही आधार है

गोस्वामीजी ने कैदियों को कर्म की प्रधानता बताते हुए कहा कि आज यदि आप लोग कारागार में हो तो इसका कारण सिर्फ आपके कर्म ही है, इसलिए कर्मयोग अर्थात परमार्थ कार्य करने चाहिए। कार्यक्रम में संस्थान के अनेक पदाधिकारियों एवं सहयोगियों ने भाग लिया। गीता की पुस्तकें सभी कैदियों को भेंट की गई। अगले पड़ाव में यह यात्रा नाथद्वारा, उदयपुर एवं द्वारिका गुजरात के लिए प्रस्थान करेगी।

जेलों के हालात बदतरः जैन

भीलवाड़ा| राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एनके जैन ने कहा कि राज्य में जेलों के हालात बदतर हैं। वहां पशुओं से भी खराब पानी इनसानों को पिलाया जाता है। मद्रास एवं कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधिपति जैन, गुरुवार शाम यहां सर्किट हाउस में 'भास्कर' से मुखातिब थे। वे दो दिवसीय दौरे पर आए हैं। पुलिस अत्याचार की बढ़ती घटनाओं मसलन एडवोकेट अमित यादव आत्महत्या प्रकरण, जयपुर में हाल ही हुए निशा आत्महत्या प्रकरण के संबंध में जैन का कहना था कि मानवाधिकार आयोग न तो कोर्ट है,और न ही सरकार, यह तो गुड गवर्नेंस के लिए है। फिर भी वे प्रसंज्ञान लेते हैं। उनका काम आयोग के माध्यम से लोगों को जागरुक करना है, और वे इसी काम में जुटे हैं।

न्यायमूर्ति जैन का कहना है कि आयोग में अब तक लगभग 17 हजार केस आए, जिनमें से 16 हजार का निस्तारण कर दिया गया। 240 केस में निर्देश दिए है। एक विभाग के पांच-पांच मंत्री है। फिर भी केवल कागजी काम हो रहा है। आयोग चाहता है कि कागजी नहीं, वास्तव में काम हो। कानून सहित विभिन्न विषयों पर अब तक 31 पुस्तकें लिख चुके न्यायमूर्ति जैन का कहना है कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों की बात तो करता है, पर कर्तव्य की नहीं। व्यक्ति जैसा व्यवहार खुद के साथ चाहता है, वैसा ही दूसरों के साथ भी करें। आज माता-पिता बहुत महत्त्वाकांक्षी हो गए हैं। वे बच्चों को बड़ा आदमी तो बनाना चाहते हैं, पर संस्कारों पर ध्यान नहीं देते।

आयोग अध्यक्ष जैन कहते हैं, लोक सेवकों के साथ ही आम व्यक्ति को भी मानवाधिकार का ध्यान रखना चाहिए। आयोग जयपुर के लगभग सौ स्कूलों में मानवाधिकार संकल्पों की प्रार्थना करवा रहा है। इसके साथ ही शिक्षक बच्चों से इंटरेक्ट भी करते हैं। इससे पूर्व, सर्किट हाउस पहुंचने पर यूनेस्को के श्याम बनवाड़ी ने स्वागत किया।

Cases of Custodial Death in Rajasthan in Jail/Police custody reported up to May 2010

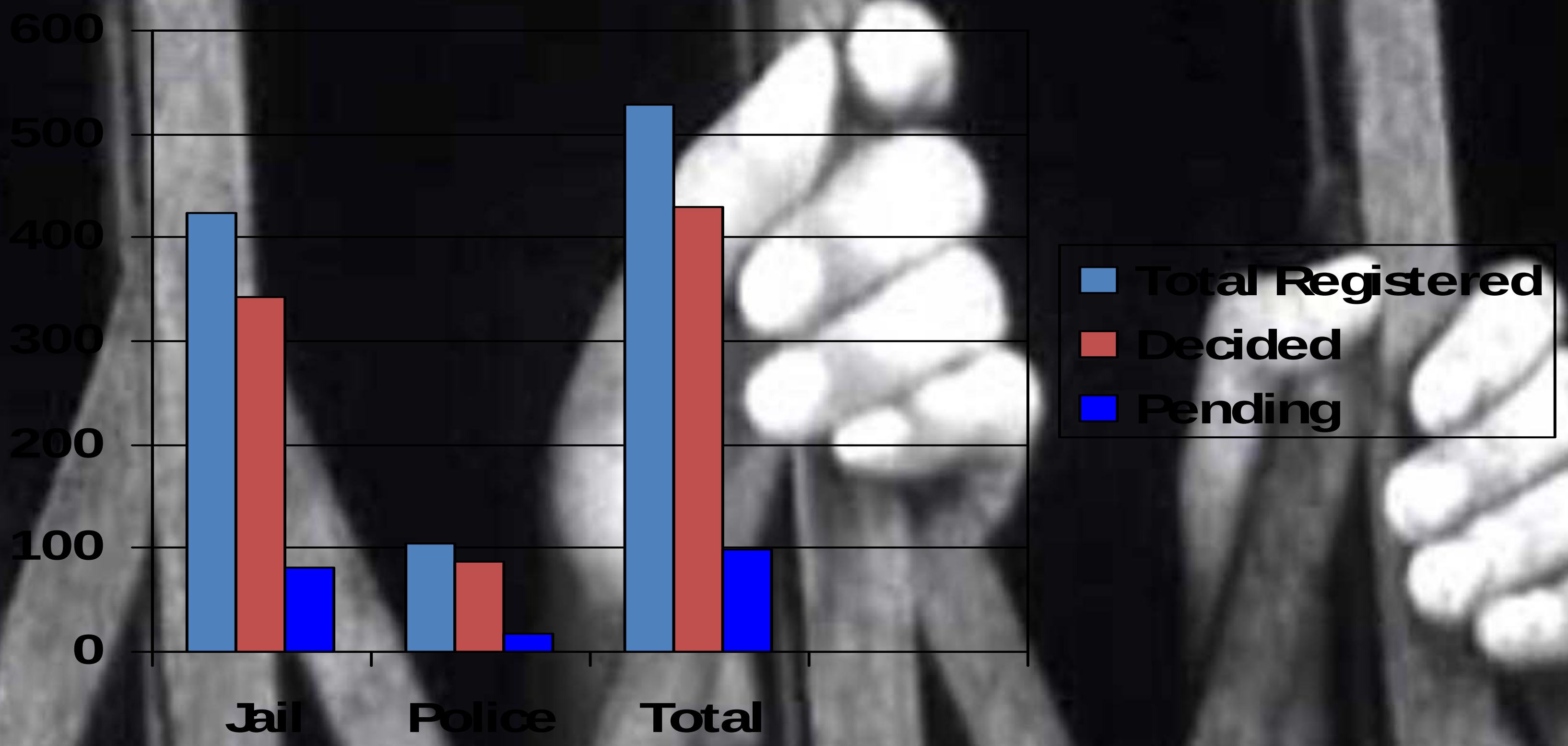

© Original Artist
Reproduction rights obtainable from
www.CartoonStock.com

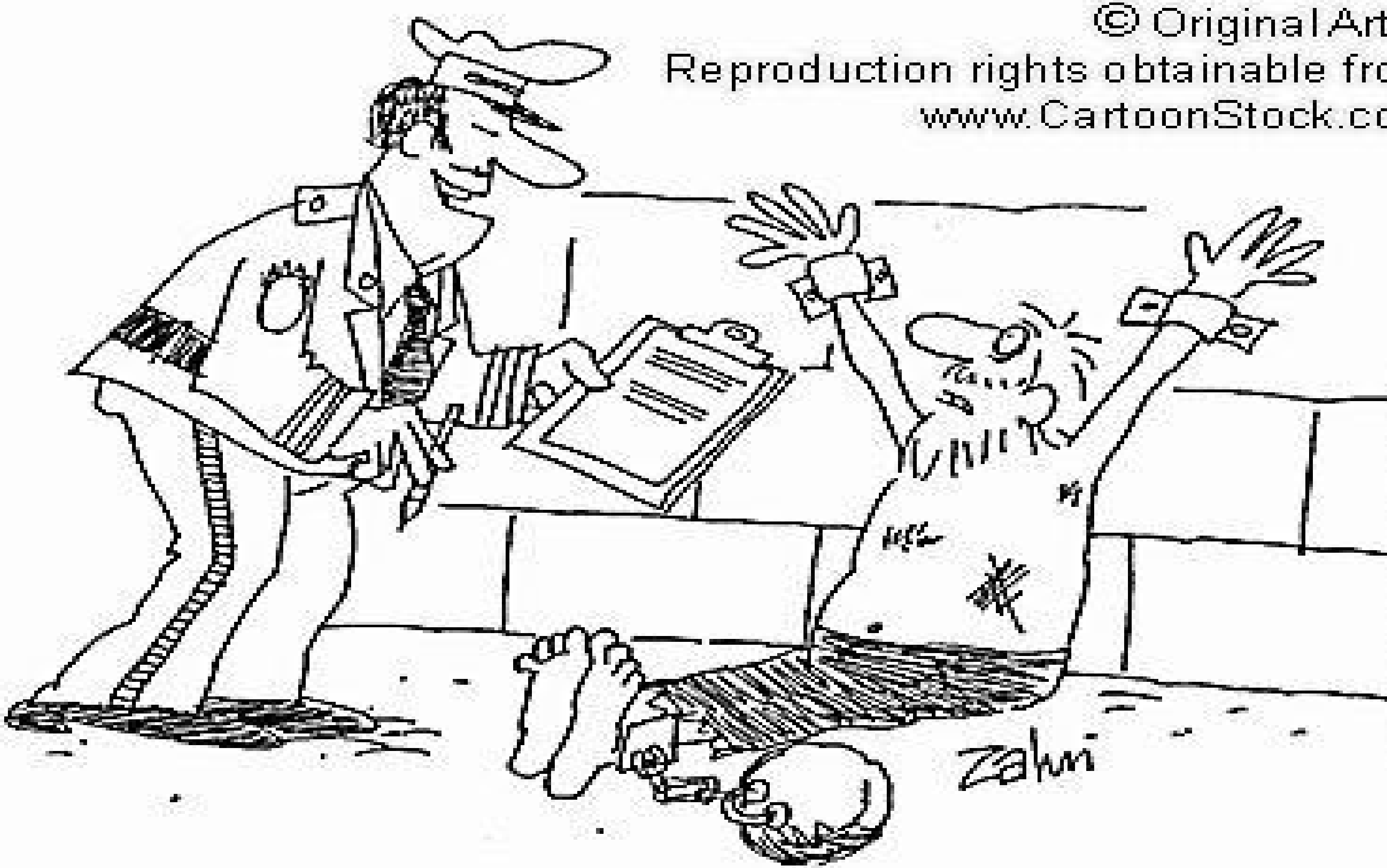

search ID: cza0352

"I'm taking a survey of prison conditions. How would you rate the torture here? Poor, good, or excellent?"

BOOKS PUBLISHED

- These books are kept in the Libraries of different schools and colleges for awareness of students as well as the teaching and ministerial staff. Some books are even kept in the UN-Congress Library at New Delhi.
- Teachers of various school are interacting with the students on these issues in zero hours.
- About legal aid committees, NGO's / Educational Institutions above 55, and some Newspapers have re-printed/Published these booklets as intimated and about 80,000 booklets titled on women, child rights, dalits, arrest, human rights and HIV have been published and distributed free of cost among the general public to create awareness.

Legal Awareness Programmes

- For the awareness of the human rights in public at large, Justice Jain has wrote about 31 booklets of various legal issues. Out of these booklets 18 booklets have been published by the R.S.H.R.C. Many other organizations, District Legal Aid Authorities, Departments, Schools, Colleges etc. has also published some booklets like Women, Children, Dalits, Arrest, HIV/AIDS, Human Rights etc. by the permission of the Commission. They have distributed these booklets in 80000 in numbers.
- Some of these booklets are available on Commission's website www.rshrc.nic.in and justicenagendrakjain.com. English translation of Some booklets are also available on a German website herenow4u.de.
- These books are:

31 booklet have been written by Justice Nagendra Jain (Chairperson RSHRC, Jaipur) on different legal and important issues

BOOKS PUBLISHED

माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, (पूर्व न्यायाधिपति मद्रा एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय)ने विविध विषयों पर लेख/लघु पुस्तिकाएँ आदि लिखी हैं। जिनका प्रकाशन भी किया गया है। इन लेखों/लघु पुस्तिकाओं में से कुछ निम्न है:—

1. सन्थारा/सल्लेखना (हिन्दी व अंग्रेजी में) **www.herenow4u.de (Eng.)**
2. भारतीय संस्कृति में अहिंसा व मानव अधिकार (हिन्दी व अंग्रेजी में)
3. अणुव्रत व मानवाधिकार
4. खेल, खिलाड़ी व खेल भावना
5. बालकों के अधिकार। *(पुनः प्रकाशित)*
6. अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर। *(पुनः प्रकाशित)*
7. एच.आई.वी. एड्स एवं मानवाधिकार। *(पुनः प्रकाशित)*
8. मानवाधिकार और जैन धर्म। (हिन्दी व अंग्रेजी में)
9. आयोग की कार्यविधि, शक्तियां एवं परिवादों की निरस्तारण प्रक्रिया।
10. आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ।
11. भारतीय संविधान की अनुच्छेद–21 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'।
12. महिलाओं के अधिकार– संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी। *(पुनः प्रकाशित, पुनः प्रकाशित 2008)*
13. दलितों के अधिकार। *(पुनः प्रकाशित)*
14. मानव अधिकार और राज्य की जनोपयोगी योजनाएं।
15. गिरफ्तारी (ARREST) *(पुनः प्रकाशित)*
16. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना।
17. जेल, कारावास से संबंधित प्रावधान व गतिविधियाँ।
18. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा–निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ 2007
19. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा–निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ *(पुनः प्रकाशित–2008)*
20. Judicial Values & Ethics for Judicial Officers. **www.rshrc.nic.in**
21. Advantage to Litigant Public by Brihat Lok Adalat.
22. Alternative Dispute Resolution, Conciliation & Mediation (ADR).
23. Institutional Arbitration Intellectual & Information Technology (IPR & IT).
24. Cyber Law.
25. Copy-right Law.
26. e-governance and Court Automation.
27. Article-14 Right to Equality.
28. Gender Justice in Employment & in Profession, Empowerment of Women.
29. Law of Precedent, Reference to Art. 141.
30. Directive Principal of State Policies.
31. Public Interest Litigations & others.

Fundamental Duties Art 51-A

- The Commission under the guidance of the Hon’ble Chairperson is making the common people aware about the duties mentioned in Art. 51(A) of the Constitution.
- Justice N.K Jain has made the Performa of these duties and distributed. So many institutions have reprinted and distributed in public to create awareness as many people are not aware of their duties.
- He is motivating students of various schools, colleges and other institutions. Students of these institutions are reciting the oath of article 51(A) of Constitution of India under the guidance of R.S.H.R.C.

Students of some institutions reciting the Oath as per Article 51(A) of Constitution of India under the guidelines of RSHRC.

Students reciting the pledge.

संवेदनशीलता से कार्य करें मानवाधिकार मामलों में : जैन

कार्यालय संवाददाता, जयपुर

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन ने राजकीय विभागों से मानवाधिकार संबंधी मामलों पर संवेदनशीलता और सजगता से कार्य करने को कहा है। जैन शासन सचिवालय के सभा कक्ष में राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से आयोजित चाइल्ड लेबर 2003 वीमन ट्रैफिकिंग की एक दिवसीय ट्रेनिंग वर्कशॉप में बोल रहे थे।

उन्होंने सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों से कहा कि वे मानवाधिकार से जुड़े मामलों में सजग रहकर समाज के विकास में अपना सहयोग करें। आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति जगत सिंह ने कहा कि आयोग समय-समय पर राज्य के विभिन्न जिलों में मानवाधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली की सदस्य शोभा कुमारी मेनन ने बाल श्रम एवं वीमन ट्रैफिकिंग का कारण गरीबी को बताया।

शासन सचिवालय में 'चाइल्ड लेबर एण्ड वीमन ट्रेफिकिंग' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. जैन ने की।

पुलिस अधीक्षक को चेतावनी

जयपुर, 15 फरवरी (का.सं.)। राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस द्वारा परिवादों की जांच एवं वस्तुस्थिति से समय पर अवगत नहीं कराने को न्याय में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे ही एक मामले में जयपुर शहर (दक्षिण) पुलिस अधीक्षक कार्यालय से भी एक साल से रिपोर्ट तक नहीं आई है, इसके लिए सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को चेतावनी पत्र लिखा गया है। आयोग ने यह कार्रवाई 28 मार्च 2006 को दर्ज एक परिवाद के मामले में की है। मामले में करीब एक साल से बार-बार याद दिलाने के बावजूद आयोग को जयपुर शहर (दक्षिण) पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अब तक रिपोर्ट नहीं मिली है। आयोग ने इस मामले में सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से जिम्मेदार अधिकारी को अगली पेशी पर आयोग में हाजिरी देने के लिए पाबंद करने को कहा है। साथ ही पुलिस अधीक्षक से उनके कार्यालय में आयोग से सम्बन्धित लम्बित परिवादों की सूचना मांगी है। मामले की अगली सुनवाई सात मार्च को है।

जयपुर रोड पर स्थित राजस्व प्रशिक्षण संस्थान में रविवार को आयोजित कार्यशाला में मानवाधिकार के बारे में पुलिस कर्मियों को जानकारी देते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष शंकर सेन। प्रेस फोटो : अशोक बंदवाल

'पुलिस बदले अपना व्यवहार और कार्यप्रणाली'

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व महानिदेशक ने कहा, जनता का उस पर से भरोसा उठना भी सामाजिक अव्यवस्थाओं का मुख्य कारण

अजमेर, 11 मार्च (कासं)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व महानिदेशक शंकर सेन ने कहा है कि पुलिस को जनता का भरोसेमंद बनने के लिए अपने व्यवहार और कार्य प्रणाली में बदलाव लाना होगा। उसे हर व्यक्ति को व्यक्तिगत पर पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की आदत डालना होगी। वे रविवार को पुष्कर स्थित राजस्व प्रशिक्षण संस्थान में 'नेशनल प्रोजेक्ट ऑन प्रिवेंटिव टॉर्चर इन इंडिया' द्वारा मानवाधिकार व यातना को परिभाषित कर समझना व लोकतांत्रिक पुलिस व्यवस्था व यातना रोकने में पुलिस की भूमिका विषय पर आयोजित कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

सेन ने कहा कि पुलिस और आम व्यक्ति दोनों ही समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। पुलिस पर से जनता का भरोसा उठ जाना ही समाज में व्याप्त अव्यवस्थाओं का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जनता से संवादहीनता और खुद को व्यवस्था बताने का अहम हिस्सा समझना दुखदायी परिणाम दे रहा है। पुलिस यदि कानूनी प्रक्रिया को समझकर उसकी पालना करने लगे, सभी लोगों से एक जैसा व्यवहार करने के साथ-साथ खुद में सुधार करे तो उन पर लोगों को प्रताड़ित करने के आरोप लगने कम हो जाएंगे। संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना और उससे जबरन अपराध कुबूल कराने के लिए ताकत का उपयोग करना गलत है। उन्होंने पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति को यातना देने को विधि सम्मत होना नहीं बताया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन ने कहा कि मानवाधिकार कोई विदेशी अवधारणा नहीं है।

हमारी संस्कृति और संविधान व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है, यही मानवाधिकार की धारणा है। कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे पीपुल्स वाच कार्यकारी निदेशक हेनरी टिफेन ने कहा कि किसी भी प्रकार से लोकसेवक द्वारा किसी व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने के मकसद से पहुंचाई गई मानसिक और शारीरिक यातना मानवाधिकार का हनन है। जाति, लिंग व क्षेत्रवाद के आधार पर पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना यातना का रूप है। उन्होंने कहा कि यातना को वही समझता है जो यातना सहन करता है। कार्यशाला को पूर्व महानिरीक्षक (जेल) आर.के. सक्सेना, पीपुल्स वॉच की राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वयक डॉ. सुनीला सिंह, डी.यू.सी. एल. के डॉ. एल. त्रिपाठी और किरण दुबे ने भी संबोधित किया। अंत में पीपुल्स वाच की राज्य निदेशिका सिस्टर कैरोल गीता ने आभार व्यक्त किया।

जन-जागरण से ही मानवाधिकार हनन रुकना संभव

अजमेर, 11 मार्च (कासं)। मानवाधिकार हनन की प्रवृत्ति समाप्त करने के लिए जारी जन-जागरण के परिणामों के बारे आयोग के प्रतिनिधि काफी आशान्वित हैं। जबकि पुलिस कर्मचारियों का मानना है कि केवल उनके व्यवहार में बदलाव अथवा सोच बदल लेने से ही भयमुक्त समाज की कल्पना साकार नहीं हो पाएगी। इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति में भी जागृति आना आवश्यक है।

जागृति की जरूरत

राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के पूर्व महानिदेशक **शंकर सेन** ने कहा है कि पुलिस कर्मचारियों अथवा सरकारी

कर्मियों से ही मानवाधिकार नियमों की पालना की उम्मीद रखना बेमानी होगा। देश में बेहतर कानून व्यवस्था और भयमुक्त वातावरण तैयार करने के लिए आम लोगों में भी जागृति आवश्यक है। पुलिस के साथ-साथ अन्य महकमों के कर्मचारियों को यह बताना जरूरी है कि उनका व्यवहार किसी साथी कर्मचारी अथवा विभागीय कार्य से आने वाले आगंतुकों के लिए प्रताड़ित करने वाला नहीं हो। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए, कि केवल कर्मचारी वर्ग में सुधार की जरूरत है। कर्मचारी और आम आदमी दोनों ही समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए समाज व राष्ट्रहित में अपनी भूमिका अदा करने के लिए सकारात्मक सोच से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा जनता से जुड़े हुए विभागों को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है।

कानून की हो पूरी जानकारी

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष **एन.के. जैन**

ने कहा कि पुलिस के खिलाफ ही मानवाधिकार हनन के अधिकांश मामले उजागर होते हैं। जिससे आम आदमी का पुलिस से भरोसा उठता जा रहा है। जनता से मित्रवत व्यवहार नहीं करने का खामियाजा भी पुलिस विभाग भुगतता है। उसे किसी भी मामले में अनुसंधान करने में कई दिक्कतों का सामना करना होता है। पुलिसकर्मी को कानून औ[र] उसकी प्रक्रिया ज्ञात नहीं होने से पीड़ित को न्याय नह[ीं] मिल पा रहा है। आवश्यक है कि पुलिस कर्मचारियों क[ो] कानून की पुख्ता जानकारी दी जाए।

पुलिस को निशाना बनाना गलत

कार्यशाला में भाग ले रहे **ए.एस. आई. पूरण** ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से नई जानकारियां मिलती हैं

किंतु मानवाधिकार आयोग का उपयोग जनता केवल पुलिस के खिलाफ करने की मंशा रखे इस सोच को बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज को भयभीत करने वालों से सख्ती पुलिस का शौक नहीं मजबूरी है। उन्होंने पुलिस व आम आदमियों में मानवाधिकार के प्रति जागृति लाने के प्रस्ताव का समर्थन किया।

सभी को हो जानकारी

कार्यशाला में शिरकत कर रहे **ए.एस.आई. सोहन**

सिंह ने कहा कि मानवाधिकार के बारे में सर्वाधिक जानकारी पुलिस को होनी आवश्यक है लेकिन बेहतर व्यवस्था के लिए जनता का शिक्षित व जागरूक होना जरूरी है। केवल पुलिस कर्मचारियों पर मानवाधिकार के हनन का आरोप लगाया जाना भी उचित नहीं है।

अन्य विभागों की भी सुध ली जाए

रेलकर्मी **अशोक यादव** ने कहा कि जिस तरह मानवाधिकार के बारे में आयोग पुलिस पर विशेष नजर

रखता है। उसी अन्य विभागों की भी सुध लेनी चाहिए। समय-समय पर अपने स्तर पर सरकारी संस्थानों का निरीक्षण करने और कर्मचारियों के संबंधित मामलों की जानकारी एकत्र किया जाना चाहिए, जिससे पुलिस के साथ-साथ अन्य संस्थानों की कार्यप्रणाली सुधरेगी और बेहतर सामाजिक व्यवस्था की कल्पना को साकार किया जा सकेगा।

News

राजस्थान पत्रिका
जयपुर, रविवार, 20 जुलाई 2008
12

छात्रों को पिलाई जाएगी मूल कर्तव्यों की घुट्टी

मानवाधिकार आयोग की पहल पर शिक्षा विभाग से आदेश जारी

जयपुर, 19 जुलाई (का.सं.)

छात्र जीवन से ही नागरिकों को मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों की पालना की घुट्टी पिलाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को संवैधानिक कर्तव्यों के पालन का संकल्प दिलवाने का आदेश दिया है।

राज्य मानवाधिकार आयोग ने नागरिकों को मूल कर्तव्यों की पालना का संकल्प दिलाने के लिए एक प्रारूप तैयार किया है, जिसकी प्रतियां आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों, अधिकारियों तथा कई दर्जन स्कूलों में भिजवाई गई है। शिक्षा विभाग ने आयोग के सुझाव पर माध्यमिक, प्राथमिक और संस्कृत शिक्षा के निदेशकों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार की शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को संविधान के अनुच्छेद 51-ए में उल्लेखित मूल कर्तव्यों की पालना का संकल्प दिलवाएं।

क्या हैं मूल कर्तव्य

संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य इस प्रकार है- ▸▸ संविधान और उसके आदर्श, राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का आदर करें ▸▸ राष्ट्र भावना के लिए प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें ▸▸ भारत की प्रभुता, एकता-अखंडता, सार्वजनिक सम्पत्ति, वन, झील, नदी व वन्य जीवों की रक्षा करें ▸▸ स्त्री सम्मान विरोधी प्रथाओं का त्याग करें ▸▸ हिंसा से दूर रहकर प्राणियों के प्रति दयाभाव रखें ▸▸ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार की भावना का विकास करें ▸▸ सभी नागरिकों में समरसता व भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।

बंदियों ने लिया मानव अधिकार रक्षा का व्रत

भरतपुर: भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान नई दिल्ली द्वारा निकाली जा रही गीता संदेश यात्रा सोमवार को भरतपुर स्थित सेवर कारागार पहुंची। संस्थान द्वारा कारागार में बंदियों को मानव अधिकार रक्षा का संकल्प कराया गया।

कारागार में पहुंची गीता संदेश यात्रा के उपरांत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी, सचिव श्रीचंद साहू, भरतपुर के अधिवक्ता सरदार महेन्द्र सिंह मग्गो, उमेश शर्मा, जेलर श्रीराम शर्मा द्वारा कैदियों को चरित्र निर्माण सहित गीता के उपदेशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।

इस अवसर पर कैदी भगवान सिंह, कांता प्रसाद शर्मा, तेजवीर गुर्जर, मुख्त्यार सिंह, मानवीर, सीताराम सहित अन्य बंदियों द्वारा संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी से परमात्मा, आत्मा, जन्म, मृत्यु, कर्म के संबंध में प्रश्न पूछे गये। इस दौरान जेल परिसर में गिर्राज महाराज की जय व श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी बोल गूंजते रहे।

मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता बढाई जाये : मुख्यमंत्री

मानवाधिकारों का नहीं होने देंगे हनन

मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने की मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष से मुलाकात

जयपुर, 4 मार्च। राज्य सरकार मानवाधिकारों को लेकर पूरी तरह गंभीर है किसी भी स्तर पर मानवाधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। राज्य सरकार की नवनियुक्त मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने

मानवाधिकार आयोग की बेहतर कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन के जैन को आश्वस्त किया। मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने बुधवार को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन के जैन से मानवाधिकार आयोग के कार्यालय में मुलाकात की। लगभग आधा घंटे तक चली मुलाकात में दोनों के बीच मानवाधिकार के मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। जैन ने सिंह को मानवाधिकारों के कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी। श्रीमती सिंह ने मानवाधिकार आयोग की ओर से अधिकार के स्थान पर कर्तव्य की प्रतिज्ञा दिलवाने के अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि यह अभिनव प्रयोग है इससे बालकों के बीच अच्छे संस्कार पैदा होंगे। मंगलवार को जैन से राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हरीश मीणा ने मुलाकात की थी।

हर थाने में लगेंगे कानूनी जानकारी के सूचनापट्ट

पुलिस महानिदेशक मीणा ने की मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जैन से मुलाकात

जयपुर, 3 मार्च। राजस्थान पुलिस आम नागरिकों को मानवाधिकारों और कानून की जानकारी देने वाले सूचनापट्ट हर थाने में लगाएगी। पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा ने मंगलवार को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग न्यायाधीश एन के जैन को आश्वस्त किया कि मानवाधिकारों के मामले में पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाएगी। पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा ने मंगलवार को मानवाधिकार आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन. के. जैन से मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग पौन घंटा बातचीत हुई। जैन ने मीणा को आश्वस्त किया कि सुप्रीम कोर्ट के डी के बसु मामले में थाने में आम नागरिक को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश की पालना की जाएगी। जैन ने जानकारी दी कि मानवाधिकार आयोग में शिकायत के बाद परिवादी को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने के मामले सामने आए हैं। ऐसे मामले में कठोर कार्रवाई की जाए। मीणा ने ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया। दोनों के बीच मानवाधिकार की रक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग और पुलिस के बीच सामन्जस्य स्थापित करने पर विचार-विमर्श हुआ।

महिलाओं की दयनीय स्थिति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

जोधपुर, (निसं)। आज से कानून एवं महिलाओं के साथ भेदभाव को समाप्त करना... विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जयनारायण विश्वविद्यालय एवं महिला विधि महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। महिला महाविद्यालय के सभागार में शुरू हुई इस संगोष्ठी का उद्घाटन न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेएनवीयू के कुलपति डॉ. लोकेश कुमार शेखावत ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष डी.एल. जौहर ने की। संगोष्ठी के निदेशक विधि संकाय के प्रो. रामनिवास शर्मा ने बताया कि आदिकाल से पुरूषों द्वारा महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। वैदिक काल को छोड़कर स्मृति काल से देश के स्वतंत्र होने तक महिलाओं का स्तर व स्थिति दोयम दर्जे की रही है और महिला ज्यादातर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पुरूष पर निर्भर रही है। प्रो. शर्मा ने बताया कि पश्चिमी देशों में भी महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एवं मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 जारी होने के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार का प्रयास शुरू हुआ। इस घोषणा पत्र में महिलाओं को प्रथम बार हर क्षेत्र में पुरूषों के समान अधिकार प्रदान किये गये है। इसके बावजूद भी महिलाओं की स्थिति एवं स्तर में सदस्य राष्ट्रों की उदासीनता के कारण ज्यादा सुधार नहीं हो पाया। सुधार को तेजी से अग्रेषित करने के उद्देश्य से 1979 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की कन्वेंशन को संघ के सभी सदस्य राष्ट्र की सहमति से लागू किया।

News

समाचार जगत >> जयपुर >> 10 दिसम्बर, 2007

अधिकारों के साथ–साथ कर्तव्य भी निभाएं

अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस

अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जहां तक मानवाधिकार संरक्षण की बात है, यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य निर्वहन के लिए भी जागरूक हो। हर वर्ष 10 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, परन्तु इसे मनाने के लिए लोगों में अभी-भी उतनी जागरूकता पैदा नहीं हुई हैं। इस कार्यक्रम में सिर्फ संभ्रात वर्ग का ही जुडना काफी नहीं बल्कि हर युवा से लेकर स्कूली छात्रों एवं गांव ढाणी की आम जनता तक को इससे जोडना होगा जिससे आगे चलकर वह दूसरों को भी मानव अधिकारों के प्रति सचेत कर सकें। इसी प्रयास को अंजाम देने के लिए द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 (एक्ट नं. 10 ऑफ 19994) की धारा 21 (1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान राज्य में 18 जनवरी 1999 में आयोग का गठन हुआ तथा मार्च 2000 में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हुई और फिर दिनांक 6.7.2005 को पुर्नगठन हुआ। 16 जुलाई 2005 से राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के नाते मेरी यही कोशिश रही है कि हर मामले में सोच समझकर निर्णय लिया जाए, जिससे पीडित के अधिकारों का हनन रोका जा सकें। जागरूकता सिर्फ मानव अधिकार क्या है, यह समझने से नहीं आएगी। इसके लिए हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को भी समझना होगा। हर वर्ग खासतौर पर पीडित, दलित उत्पीडित, कमजोर वर्ग, बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी और हमें अत्यधिक जागरूकता के साथ-साथ संवेदनशील भी बनना होगा, ताकि जिससे यदि सडक पर भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो, तो हम वहीं रूक कर उसकी मदद करें ना कि सीधे आगे चले जाएं और बहाना बनाऐं कि कानूनी प्रक्रिया का झंझट है व समय नहीं है। यदि मानवता के लिए ही किसी के पास समय नहीं है तो फिर क्या खुद मानव बने रहने का उन्हें अधिकार होना चाहिए, यह तो आपको स्वयं को ही तय करना है। जहां तक मानवाधिकार आयोग की बात है, शिकायतों के अलावा अखबारों में आने वाले मामलों पर भी आयोग प्रसंज्ञान लेता है साथ ही यह सभी मानवहित के लिए कार्यरत निजी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर नागरिकों के कर्तव्यों व अधिकारों की रक्षा के साथ सामाजिक बुराइयों व कुरीतियों को सकारात्मक सोच देने का प्रयास भी कर रहा हैं। मानव अधिकार आयोग किसी पुलिस, कोर्ट या व्यक्ति खास के दायरे में नहीं सिमटा हुआ है, वहां जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके मामले में वस्तुस्थिति मंगाकर व सुनकर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज आजादी के 60 सालों बाद भी हमें मानवाधिकारों की बात लोगों को अब समझानी पड रही है, जबकि देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है परन्तु आज भी देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा के साथ सामाजिक कुरीतियां, अन्धविश्वास प्रचलित हैं। यह एक जटिल समस्या है इसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा स्वतंत्रता का दुरूपयोग करने के कारण हमें आज भी मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करना पड रहा है। यह आयोग जागरूकता बढाने के लिए सरकारी विभागों, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के अध्यापकों व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से आमनागरिकों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी देने का भरपुर प्रयास कर रहा है कुछ निस्वार्थ व सेवाभावी संस्थाएं भी इस जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग दे रहा है। जिसके फलस्वरूप एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा व अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर मानव अधिकारों के संरक्षण के साथ उनके हनन को रोकने में भी मदद मिल रही हैं। यह सहयोग जितना अधिक मिलेगा, प्रदेश की जनता के मानव अधिकारों के लिएउतना ही अच्छा होगा। प्रायः यह भी देखने में आता है कि बडी बडी बातों की चर्चा तो हर कोई करता है परन्तु छोटी छोटी बाते, जो जीवन में महत्वपूर्ण होती है, उनको नजरअंदाज करते हुए आज इंसान हर कार्य की दूसरों से ही अपेक्षा करता है यह स्थिति ठीक नहीं कहीं जा सकती। आयोग ने मानवाधिकार के प्रति जागरूकता व अधिकारों के संरक्षण के लिए लोक सेवकों एवं जनसाधारण में संवेदनशीलता से काम करने को बढावा दिया है। आयोग द्वारा दिनांक 6.7.2005 से 30.11.2007 तक 10110 प्राप्त परिवादों में से 9418 परिवादों का निस्तारण कर दिया गया है तथा 1046 परिवाद दिनांक 30.11.2007 को विचाराधीन हैं। मेरा यह भी मानना है कि केवल कानून बनने या उपदेश देने से मानवाधिकारों का संरक्षण नहीं होगा, इसके लिए बने हुए कानून को अमल में लाना व स्वयं को कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना होगा व पारस्परिक हित की बात सोचनी होगी। मानव अधिकार जो सबके लिए है, कागजी ना होकर सभी को मिलकर क्रियान्वित करना होगा। हां, आयोग मदद जरूर कर सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग सिर्फ सामान्य जनता को ही नहीं बल्कि अवेयरनेस व लीगल लिट्रेसी प्रोग्राम के तहत जिम्मेदारी निभाने की बात करने वाले लोक सेवकों को भी समझाते हैं। अब जब राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत भी बढ गया है, उसी के साथ लोगों में अपने अधिकारों के प्रति सजगता भी बढी हैं। ऐसे में कर्तव्यों के प्रति भी हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। अन्त में विश्व मानवाधिकार दिवस पर मेरी लोगों से यही अपेक्षा है कि मानव अधिकारों का संरक्षण करें, यह किसी का अधिकार तो किसी का कर्तव्य हैं, दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी तथा आयोग अपने उद्देश्यों के प्रति अधिक सफलता हो पाएगा और हमारा देश फिर पहले जैसे सोने की चिडिया कहलाएगा।

–एन के जैन

जागरूकता की जरूरत

बाल उम्र में ही मानवीय संवेदनाओं को समझाकर अधिकारों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। मानवाधिकार को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की पेशकश को कई स्कूलों ने माना है लेकिन अभी इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। तभी इसको फलीभूत किया जा सकेगा।

अजमेर रिपोर्टर
अजमेर, 18 सितम्बर

विद्यालयों में मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने के लिए एनजीओ को सरकार के साथ की जरूरत है। दोनों के सहयोग से ही इस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है।

यह कहना है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन एन.के.जैन का। जैन गुरुवार को सोफिया कॉलेज में ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन स्कूल ऑफ़ राजस्थान की स्टेट एडवाइजरी कमेटी की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ मदुरै व सोफिया कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम की बैठक में रिटायर्ड चीफ जस्टिस एस.एन.भार्गव ने कहा कि मानवीय अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए अभी बहुत कार्य करने की जरूरत है। सभी स्टेट्स में राइट्स के प्रति लोगों की अवेयरनैस नहीं है। भार्गव मणिपुर व असम के मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। कार्यक्रम में आर.के. सक्सेना रिटायर्ड आई जी. व कॉमनवैल्थ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कहा कि जेल में कैदियों के साथ मानवाधिकार किस प्रकार उल्लंघन होता है। इसका उन्हें काफी एक्सपीरियंस है।

वह इसको खत्म करने के लिए बच्चों को ही इसका पाठ पढ़ाने के हक में है। बैठक में पी.एल. निमरोद सेन्टर फॉर दलित राइट्स जयपुर, सिस्टर कैरल, पुलिस यातना की रोकथाम कार्यकर्ता का कहना है कि मानव अधिकारों को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया जा सकता है। ग्रास रूट के लिए नुक्कड़ व पपेट शो बेहतरीन ऑप्शन हैं। सोफिया की व्याख्याता सिस्टर मैरियेला, लॉरेन्स एंड मेयो के प्राचार्य संजय दत्ता, श्रमजीवी कॉलेज के प्राचार्य अनंत भटनागर, एडवोकेट किशन गुर्जर, आर.पी.जैन, जयपुर की दीपा जैन सोफ़िया कॉलेज की व्याख्याता संध्या रैना, संगीता सामंत, नलिनी बहुगुणा, ज्योति चंदेल, मीडिया की मधुलिका सिंह, दीपक आदि ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में सोफिया कॉलेज की प्राचार्य सिस्टर सरीना ने आगन्तुकों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम की स्टेट कॉर्डिनेटर ने प्रोग्राम की कमान संभाली।

सोफिया कॉलेज में आयोजित बैठक में भाग लेते अतिथि।

News Reporting

अधिकारों के साथ कर्तव्य भी निभाएं

जागरूकता मानवाधिकार क्या है, यह समझने से ही नहीं आएगी, उसके लिए हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को समझना होगा।

मानवाधिकार संरक्षण तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य निर्वहन के लिए भी जागरूक हो। हर वर्ष दस दिसंबर को 'विश्व मानवाधिकार दिवस' तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन इसकी जागरूकता के लिए हर युवा से लेकर स्कूली छात्रों एवं गांव-ढाणी की आम जनता को भी इससे जोड़ना होगा। जिससे आगे चलकर वह अन्य लोगों को भी मानवाधिकारों के प्रति सचेत रख सकें। इसी प्रयास को अंजाम देने के लिए 'दा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, 1993' (एक्ट नं. 10 ऑफ 1994) की धारा 21 (1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राजस्थान राज्य में 18 जनवरी 1998 में आयोग का गठन हुआ।

विश्व मानवाधिकार दिवस

जागरूकता सिर्फ मानवाधिकार क्या है, यह समझने से ही नहीं आएगी, उसके लिए हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को समझना होगा। समर्थ लोग अपने अधिकार व मानवाधिकारों के हनन को रोकने में सक्षम हैं, परंतु हर वर्ग खासतौर पर मीडिया, दलित, उत्पीड़ित, कमजोर वर्ग, बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी और हमें अत्यधिक जागरूकता के साथ-साथ संवेदनशील भी बनना होगा, ताकि यदि सड़क पर भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो, तो हम वहीं रुककर उसकी मदद करें न कि सीधे आगे चले जाएं। जहां तक मानवाधिकार आयोग की बात है, शिकायतों के अलावा अखबारों के आने वाले मामलों पर भी आयोग प्रसंज्ञान लेता है। साथ ही यह सभी मानवहित के लिए कार्यरत निजी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर नागरिकों के कर्तव्यों व अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ सामाजिक बुराइयों व कुरीतियों को सकारात्मक सोच देने का प्रयास भी कर रहा है। मानवाधिकार आयोग किसी पुलिस, कोर्ट या व्यक्ति विशेष के दायरे में सिमटा हुआ नहीं है, यहां जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके मामले में वस्तुस्थिति मांगकर व सुनकर दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। जिन आदेशों की पालना नहीं हुई उनके बारे में सरकार को विधानसभा में कारण बताने होते हैं।

– न्यायमूर्ति एन.के. जैन

P3

Human Rights and duties

Protection of Human Rights of all is possible only when everybody has a sense of duty towards this. "We celebrate the International Human Rights Day on December 10 every year, but it is a pity that even today not many know about the day's importance," State Human Rights Commission chairman Justice NK Jain said.

Speaking to HT Jaipur Live, he said that not only the elite section, but people from urban and rural areas including youth, need to be involved in the awareness drive, so that a larger section of the society could be benefited, he said.

Awareness does not come merely by understanding human rights. For this, "we need to understand the meaning pf dignity of life. We have to be alert for protecting all sections of the society, the poor, Dalits, women, children and the deprived. Along with awareness we need to be sensitive.

The Human Rights Commission is concerned on all such issues. Apart from grievances addressed to the office, the Commission takes cognizance on the matters being reported in newspapers. It is not confined to any police, court or an individual.

P3

दैनिक नवज्योति 16 मई 2010

मानवाधिकार और कर्तव्य

■ न्यायमूर्ति नगेन्द्र कुमार जैन

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का इसके गठन से ही यह प्रयास रहा है कि राज्य की आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करने के साथ-साथ लोक सेवकों को समर्पित भाव से कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया जाए। यह सही है कि प्रत्येक नागरिक को मानवाधिकारों के हनन से बचाने के लिए यह आयोग बनाया गया है। अब तक राज्य के लोक सेवकों की यह सोच थी कि यह आयोग कोई समानान्तर कोर्ट/सरकार नहीं है, अपितु यह तो लोक सेवकों को अपने-अपने कार्य निष्ठा और संवेदनशीलता से करने की अपेक्षा करता है और आयोग तो सुशासन में ही मददगार है। अब उनकी सोच में धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है। आयोग द्वारा शिकायतों की सुनवाई की प्रक्रिया में संबंधित विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर लॉजिकल कन्क्लूजन से उनका निस्तारण करने के साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया जाकर आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। आमतौर पर देखने में आता है कि समृद्ध लोग तो अपने अधिकारों की रक्षा करने एवं मानवाधिकारों के हनन को रोकने में सक्षम है, किन्तु हमें हर वर्ग, खासतौर पर पीड़ित, दलित एवं कमजोर वर्ग के साथ-साथ बच्चों एवं महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी। इसलिए हमें अहम् भाव नहीं रखकर सेवा भाव, मानवीय दृष्टिकोण, संवेदनशीलता एवं सद्भावना से कार्य करना होगा।

यही बात हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना, लोगों की मूल भावना और लोकतंत्र की मंशा 'ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाइ द पीपुल' के अनुरूप भी है, जिसमें देश के हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की भी अपेक्षा की गई है। तभी हम संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करने मे सफल होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा। एक सुदृढ लोकतंत्र के तीन स्तंभ होते है- विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। तीनों ही स्तंभ अपने- अपने हिसाब से काम कर रहे है। इनमें कोई छोटा- बड़ा नहीं है। साथ ही, लोकतंत्र की सुदृढता के लिए प्रेस भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है व उसकी अहम् भूमिका रहती है।

जैसा व्यवहार हम दूसरो से हमारे लिए चाहते है, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरो के साथ भी करना होगा। अत: सभी वर्ग के लोगो से मानवाधिकार आयोग की अपेक्षा है कि वे मानवाधिकारो का संरक्षण करे। यह किसी का अधिकार है तो किसी का कर्तव्य। दोनो की पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकार के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी और तभी हम देश की एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सहायक होंगे। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा के क्रम संख्या- एक से तीस तक के सभी आर्टिकल 26 जनवरी 1950 के हमारे संविधान मे समाविष्ट कर लिए गए हैं। इस घोषणा पत्र के आधार पर व्यक्ति के मानवाधिकारों को तो संविधान मे शामिल कर लिया गया। इस प्रकार के अधिकार के लिए उसके अनुरूप एक कर्तव्य भी होता है, जो संविधान की मंशा है। इसी बात को ध्यान मे रखते हुए 1977 मे संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा व्यक्ति के मूल कर्तव्यों को आर्टिकल- 51 ए के माध्यम से जोड़ा गया। तीन दशक बीत जाने के बावजूद इसकी पूर्ण जानकारी नहीं होने से हर व्यक्ति इसकी भावना के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। कहा जाता है कि 'इग्नोरेंस ऑफ ला इज नो एक्सक्यूज' परन्तु हर किसी को कानून की सम्पूर्ण जानकारी होना संभव नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विविध कानून विषयों पर लेख/ कई बुकलेट्स प्रकाशित की गई है, जिनमें से कुछ को पुन: प्रकाशित करवाया गया है। इसके अलावा कुछ बुकलेट्स को आयोग की अनुमति से राज्य की विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणो, विभिन्न संस्थाओ, स्कूलो व कई व्यक्तियो द्वारा अपने प्रियजनो की याद में पुन: प्रकाशित करवाया गया। कुछ बुकलेट्स जैसे महिलाओ के कानूनी अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी, एचआईवी/एड्स, ह्यूमन राइट्स की 70000 पुस्तकों का प्रकाशन कर आमजन को वितरित किया। इस पुनीत कार्य का प्रदेश के नागरिको में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आयोग उनके इस कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। आयोग द्वारा प्रकाशित 'त्रैमासिक न्यूजलेटर' के माध्यम से भी आयोग के कार्यकलापों की अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इन 60 वर्षों मे देश ने हर क्षेत्र मे बहुत प्रगति की है और अभी बहुत कुछ करना शेष है, लेकिन अधिकारों के बारे मे पिछले कुछ वर्षो से ही चर्चा हो रही है। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के नाते मेरा विनम्र प्रयास है कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक आर्टिकल- 51 ए में निहित भावों को समझे और उन्हे अपने जीवन मे पूरी ईमानदारी और संकल्प के साथ उतारे, तो मानवाधिकारों की रक्षा स्वत: ही हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति देश का सच्चा और अच्छा नागरिक बनेगा तथा अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की भावना प्रबल होगी। मानवाधिकारो के प्रचार- प्रसार के साथ-साथ भारतीय संविधान के आर्टिकल- 51ए की मंशा के अनुरूप लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए आयोग द्वारा शुरू की गई मुहिम के तहत कई स्कूलो मे सुबह की प्रार्थना के समय यह संकल्प दोहराया जा रहा है। इसके अलावा आयोग की अपील पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, जयपुर नगर निगम तथा स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपने कार्य के साथ-साथ इस जागरूकता कार्यक्रम में जुड़कर लोगो को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। छात्रो को प्राथमिक शिक्षा से ही यह संकल्प दोहराना अनिवार्य होना चाहिए ताकि उनकी बाल्यावस्था से ही देश एवं संविधान के प्रति आदर भाव एवं अच्छे संस्कार बने। साथ ही, कर्तव्यों के प्रति समर्पितता की भावना जागृत हो। करीब 62 संस्थाओ द्वारा इस प्रारूप के 20000 से ज्यादा कलेण्डर्स और करीब 80000 के करीब पेम्पलेट्स छपवा कर राज्यभर में अपने कार्यक्रमों के दौरान बंटवाने बाबत् अवगत कराया है। आयोग को पूर्ण विश्वास है कि इस तरह के प्रचार- प्रसार से विद्यार्थियो तथा लोक सेवकों के साथ-साथ आमजन भी अपने कर्तव्यो के प्रति समर्पण एवं देश के प्रति त्याग की भावना का अधिक से अधिक विकास होगा।

मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूं

भारतीय संविधान के आर्टिकल- 51 ए मे हमें संविधान का आदर करने एवं कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए कहा गया है। संविधान का आदर करने का अर्थ है, हम अपना स्वयं का आदर और अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे है। इसी प्रकार राष्ट्र ध्वज हमारे देश की आन-बान और शान का प्रतीक है। इसके तीन रंग- केसरिया, सफेद और हरा क्रमश: बलिदान, शांति और प्रगति के प्रतीक है और मध्य मे नीले रंग का अशोक चक्र धर्म की राह पर चलने का संदेश देता है। हमें इसका तहेदिल से सम्मान करना चाहिए। जो तिरंगे और राष्ट्रगान के महत्व को समझते है वे तो इलिट्रेट होने के बावजूद इनको पूर्ण सम्मान व आदर देते है, परन्तु आज हम देख रहे है कि गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चौराहों पर जगह- जगह कागज और प्लास्टिक के राष्ट्र ध्वज बिक रहे है तथा लोग इसे खरीद भी रहे है। परन्तु इन ध्वजो को खराब हो जाने पर इन्हे कचरे मे फेंक दिया जाता है। यह राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं तो और क्या है? इसके अलावा यह भी देखने मे आता है कि पढ़े लिखे लोग क्रिकेट एवं अन्य खेल देखते समय गालों पर तिरंगे बनवाते है तथा तहमद की तरह लपेटते है और जीतने की खुशी का इजहार इस तरह से करते है कि तिरंगा जमीन और पैरो मे आ जाता है, जबकि किसी भी खिलाड़ी द्वारा राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर भारतीय तिरंगे फहराते हुए राष्ट्रगान बजने पर भी ध्यान नही जाता है या वे इसके प्रति गंभीर नहीं है। अत: हमें इस प्रवृति से बचना होगा और अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। सिनेमा हॉल अथवा किन्ही अन्य विशेष अवसरो पर राष्ट्रगान बजने पर हमें संविधान की मुद्रा में खड़े होकर इसको सम्मान देना चाहिए।

जिस प्रकार देश की आजादी से पहले हमारे महान् राष्ट्र नायकों ने भारत छोड़ो आन्दोलन, विदेशी वस्तुओ के बहिष्कार संबंधी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने जैसे अनेकानेक आंदोलन चलाए थे और अपने त्याग और बलिदान से देश के लोगों को समर्पण भाव से शामिल होने के लिए प्रेरित किया था, जिससे देश को आजादी मिली। उसी प्रकार आज हमें देश की एकता एवं अखण्डता कायम रखने के लिए आतंकवाद का मुकाबला और भ्रष्टाचार मिटाने जैसे ज्वलंत एवं समसामयिक समस्याओ के प्रति स्वयं जागरूक रहने के साथ-साथ अधिक से अधिक अन्य लोगो को भी साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करना होगा। यह हमारा कर्तव्य भी है और ऐसे उच्च आदर्शों की पालना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है।

हमारी धरती सदैव से ही प्रकृति पर आश्रित रही है। यदि प्रकृति ही हमारे साथ नही रही तो धरती। का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए हमें संविधान की मंशा के अनुरूप हमारे प्राकृतिक स्रोतो यथा वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करनी होगी। इनके संरक्षण के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने होंगे। यदि इनका अस्तित्व नही रहेगा तो मानव का भी अस्तित्व नही रहेगा। प्रकृति से छेड़छाड़ हमारे जीवन से खेलने के समान है। (क्रमशः)

मानवाधिकार और कर्तव्य

■ न्यायमूर्ति नगेन्द्र कुमार जैन

देखा गया है कि आज मनुष्य स्वयं अपने तक ही सीमित होकर रह गया है। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हमें स्वयं के साथ- साथ समाज एवं राष्ट्र की सेवा के लिए भी तत्पर रहना होगा क्योंकि राष्ट्र का निर्माण समाज से, समाज का निर्माण परिवारों से तथा परिवारों का निर्माण व्यक्ति से होता है। नारी ही प्रत्येक परिवार की धुरी होती है। इसी क्रम में प्रत्येक माता ही बच्चों की प्रथम गुरु होती है। स्त्री की सामाजिक प्रबंधन क्षमता तुलनात्मक रूप से पुरुष से अधिक होती है। महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी तरक्की की है। आज भी महिलाओं के प्रति उपेक्षा एवं उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि वह महापुरुषों की जननी है। इसलिए हमें चाहिए कि इनके संरक्षण एवं सुरक्षा के दायित्व को निभाएं तथा इनके सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का विरोध करें और अधिक से अधिक लोगों को ऐसी प्रथाओं के परित्याग के लिए प्रेरित करें।

आज जगह- जगह धर्म, भाषा, प्रादेशिकता एवं वर्ग- विभेद के नाम पर लोग एक दूसरे के विरोधी होते जा रहे हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। यह समाज और देश के लिए अत्यंत घातक है। धर्म समाज का पोषण करता है। कोई भी धर्म शोषण की बात नहीं कहता है। अपनी। आस्थाओं के अनुसार धर्म हर व्यक्ति को अनुशासन में रहना सिखाता है। दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो, धर्म इस बात की तरफ भी आकर्षित करता है। हमें सर्वधर्म संभाव की नीति अपनाते हुए सभी धर्मों का आदर करना होगा। सम्पूर्ण देश हमारा है। यहां के सभी निवासी हमारे भाई- बंधु ही हैं। किसी भाषा विशेष अथवा क्षेत्र विशेष पर किसी एक का अधिकार नहीं है। यह बात भी हमें सच्चे मन व ईमानदारी से अपने दिल में उतारनी होगी।

अहिंसा परमोधर्मः और वसुधैव कुटुम्बकम जैसे आधारभूत सिद्धान्त हमारे देश की ही देन है। आज सम्पूर्ण विश्व हमारी इन मान्यताओं का कायल है। हमारे संविधान में भी इन्हीं सिद्धान्तों को समाहित करते हुए प्राणी मात्र के लिए दयाभाव रखने की बात कही गई है। दया धर्म का मूल है अर्थात जहां दया है, वही धर्म निवास करता है। 'अहिंसा' दया का सबसे बड़ा उदाहरण है। किसी भी काम को करने के लिए यह देखना जरूरी है कि उस काम से किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे। हिंसा मनुष्य की मानसिक विकृति को दर्शाती है। हमारे संविधान की मंशा भी यही है कि प्रत्येक व्यक्ति प्राणी मात्र के प्रति दया रखें और हिंसा से दूर रहे। सम्पूर्ण राष्ट्र की सम्पत्ति हमारी है। हम ही इसके निर्माता और हम ही इसके संरक्षक हैं। हमें ही इसे भोगना है। अतः इसकी संरक्षा के लिए हमें कृतसंकल्प रहना होगा। आज अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलनों के नाम पर देश की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना आम बात हो गई है। देश की सम्पत्ति के नुकसान का अर्थ है कि हम अपने आपको उतना ही अधिक पीछे धकेल रहे हैं। कानून बनाने मात्र से देश की सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। यह सभी की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें स्वयं ही जागरूक होना होगा तथा यह बात भी हमें बखूबी समझ लेनी चाहिए कि देश की सम्पत्ति का विध्वंस हमारा अपना स्वयं का विध्वंस है। जिस प्रकार प्राचीन काल में हमारे ऋषि- मुनियों, धर्म गुरूओं, विद्वानों, आचार्यों, कवियों तथा साहित्यकारों ने सम्पूर्ण विश्व में भारत का परचम फहराया और अपनी अलौकिक शक्तियों व ज्ञान का लोहा मनवाया, उसी प्रकार आज के इस वैज्ञानिक युग में हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा भी आधुनिक तकनीक और अपनी योग्यता के बल पर विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की प्रगति को अग्रणी बनाया हुआ है। अतः हमें हमारे वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण, विद्वानों की मानवता और धर्मगुरूओ द्वारा चलाए जा रहे सुधारवादी विचारों का तहेदिल से आदर करना चाहिए, क्योंकि सेवा का भाव सभी के अन्दर है। बस इसे इन्कलकेट करना होगा। यही हमारे देश के संविधान की मंशा है। भाईचारे की भावना और एक दूसरे के सुख- दुःख में भागीदारी हमारे देशवासियों में प्राचीन काल से चली आ रही है। परस्पर भाईचारा घर- परिवार व बुजुर्गों के साथ समन्वय बनाए रखना आज के समय की आवश्यकता है। यह परम्परा हमें यथावत जारी रखनी होगी। इसे अनदेखा करना हमारे लिए घातक हो सकता है। यही हमारे संविधान की मंशा है। हमें सकारात्मक विचार एवं बदलाव की जरूरत है। हमें स्वार्थ की भावना से उठकर स्वयं की प्रगति एवं उन्नति के साथ-साथ समाज के कल्याणार्थ चलाई जा रही गतिविधियों में भी बढ़चढ़ कर सहभागिता निभानी होगी और सभी क्षेत्रों में उत्तरोत्तर प्रगति हेतु सामूहिक प्रयास करने होंगे। जो समय की मांग है। यही हमारे संविधान की मंशा है। हर मां-बाप अपने [illegible]च्चों की उन्नति के लिए हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। कुछ तो उसकी क्षमता से अधिक व अच्छी पढ़ाई करवाकर बड़ा आदमी, पैसे वाला, स्टेट्स वाला बनाना चाहते हैं। आज का बच्चा नोलेजेबल इन्टीलीजेंट व अच्छा आईक्यू रखने वाला है। पर मानवीय मूल्यों की अधिक जरूरत है क्योंकि कम्प्यूटर संस्कार नहीं दे सकता। संस्कार तो मां-बाप के आचरण व गुरूजनों से ही प्राप्त होते हैं, परन्तु हिप्पोक्रेसी की वजह से हम बच्चों को मौलिक शिक्षा देने से चूक रहे हैं, जिसका नतीजा आज के भौतिक युग में हम सभी देख रहे हैं। इसलिए संविधान में वर्णित कर्तव्यों के बारे में उनको बताना जरूरी है। उक्त सभी बातें हमारे संविधान के आर्टिकल 51ए में निहित है। इसलिए मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के नाते मेरा विनम्र प्रयास है कि हर मां-बाप की जिम्मेदारी है कि वह संविधान के आर्टिकल 51 ए में वर्णित शब्दों, विचारों एवं भावों को समझे और दूसरों को भी समझाए।

हालांकि देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। लेकिन जब तक हम शिक्षा को बढ़ावा और बेरोजगारी एवं कुरीतियों को दूर कर मानसिकता में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। हमारे देश के सभी धर्म और साम्प्रदायों के संत, आचार्य और धर्मगुरू भी आमजन को सद्गुणों, मर्यादित जीवन के साथ मानवीय मूल्यों पर चलने की बात कहते हुए अच्छा नागरिक बनने की सलाह दे रहे है। फिर भी यदि उनके द्वारा संविधान में निहित कर्तव्यों का बोध कराया जाए तो आमजन में इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सभी धर्मों का निचोड़ हमारे संविधान के आर्टिकल- 51ए में है कि हम विनयशील बनें और अहिंसा के साथ परस्पर समन्वय, सुहार्य, सहिष्णुता, दया, क्षमा, पवित्रता और नम्रता जैसे सुखद मार्ग पर चलें, जिससे सही मायने में जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके। आज एक तरफ तो देश मैट्रो ट्रेन चलाने, चांद पर पहुंचने की बात कर रहा है और देश में बड़ी- बड़ी इमारतें और बड़े- बड़े मॉल्स बन रहे हैं, और हम देश की सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) 9 प्रतिशत तक ले जाने की बात कर रहे हैं और कुछ/ महानुभाव देश- विदेश के समृद्ध लोगों की लिस्ट में शुमार है और उच्च स्तर की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश की 70 प्रतिशत जनता इन सभी बातों से अनभिज्ञ है। गरीब और अधिक गरीब हो रहा है और वह अपनों से ही शोषित हो रहा है, जिसको दूर किए जाने की जिम्मेदारी सभी की है।

आयोग के समक्ष विभिन्न प्रकार की शिकायतों के साथ-साथ इस तरह की शिकायतें भी आ रही हैं कि खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों में मिलावट हो रही है, पर्यावरण और पेड़ लगाने के नाम पर अपने मकानों के आगे अतिक्रमण किया जा रहा है, मादक पदार्थों को बढ़ावा व जानवरों की तस्करी, महिलाओं- बच्चों एवं मानव अंगों की तस्करी की जा रही है, बुजर्गों, महिला व बालकों के प्रति समन्वय में कमी आ रही है और संवेदनशीलता नहीं बरती जा रही है।

यह सब स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, मानवीयता के अभाव, कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के कारण है। साथ ही, बिना परिणाम के बारे में सोचे समझे कि जनता को क्या संदेश जा रहा है, सिनेमा और टीवी पर विज्ञापन प्रसारित किए जाकर जनता की भावना को भुनाया जा रहा है। सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ-साथ, इन सब बातों का निराकरण स्वयं की सही एवं सकारात्मक सोच के बिना संभव नहीं है। सिर्फ सरकार व कानूनी प्रक्रिया से ही यह सब संभव नहीं है। इसलिए आम जनता को जागरूक रहकर अपने कर्तव्यों को निर्वहन पूर्ण क्षमता और निष्ठा के साथ करना होगा। वैसे तो हर व्यक्ति को सभी कुछ मालुम है, परन्तु क्रियान्विति की कमी है।

इसलिए इस लेख के माध्यम से मेरा सादर निवेदन है कि स्वयं शुद्धि के साथ हर क्षेत्र में अग्रणी बंधु, शिक्षक, धार्मिक गुरू, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता व मीडिया को समाज के पुनः निर्माण में ईमानदारी से अहम भूमिका निभानी होगी तथा समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा, जिससे मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी। इसलिए हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वह जीवन में संकल्प ले तथा व्यवहार में नैतिकता, ईमानदारी और विश्वास के साथ काम करें। लोग अपने कर्तव्यों को समझें, उनकी पालना करें, जिससे उनके अन्तःकरण में परिवर्तन के साथ-साथ सकारात्मक सोच का भी प्रादुर्भाव होगा और वह देश की एकता और अखण्डता कायम रखते हुए अपने आत्मकल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

जस्टिस एन.के. जैन की उत्कर्ष उपलब्धियां

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सम्मानित अध्यक्ष जस्टिस एन.के.जैन एक ऐसी संवेदनशील, विनयशील व कर्त्तव्य परायण प्रतिभा है, जो राजस्थान की जनता, जनप्रतिनिधि, लोकसेवक व प्रबुद्धजनों को मानव अधिकारों के प्रति सचेष्ट व जागरूक करने में अपने आपको समर्पित कर दिखलाया है। आयोग के विगत 5 वर्ष के कार्यकाल में राजस्थान में लोकतंत्र व संविधान की आत्मा का स्वरूप निखरा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 ए को आत्मसात कराने में जस्टिस जैन ने व्यक्तिगत ईच्छाशक्ति का प्रदर्शन व निज कर्मपथ को गतिमान बनाया है वह श्लाघनीय ही नहीं अपितु लोकतंत्र के इतिहास में लिखने योग्य स्वर्ण पंक्तिया भी है। मैं यह घोषणा इसलिए कर रहा हूं कि मैंने जस्टिस जैन से बार बार साक्षात्कार लिए है और हर बार उन्हें मानव अधिकार और कर्त्तव्य निर्वहन पर काम करते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए, बोलते हुए और भ्रमण करते हुए मानव अधिकार व कर्त्तव्य बन गई है। वे सर्वत्र मानवीय संवेदनाओं व जीवनमूल्यों की खुशबू बिखेर रहे है। उनका प्रशासनिक कार्यालय एस.एस.ओ बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर है, किन्तु आमजन में जन जागृति लाने के लिए वे स्कूल, कॉलेज, क्लब, सभा, सम्मेलन, वर्कशॉप, विश्वविद्यालय, स्वैच्छिक संस्थाएं, फैडरेशन्स आदि में स्वयं उपस्थिति दर्ज कराते रहकर ''विचार व प्रचार'' का दर्शन फलीभूत करते है, अत वे लोकप्रियता व आत्मियता की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं। वस्तुत: जस्टिस जैन ''सिद्धान्त व व्यवहार'' के समन्वय की अद्भुत मिसाल है।

राज्य मानव अधिकार आयोग की पंचवर्षीय प्रगति-रिपोर्ट काफी रोमांचकारी है और राजस्थान के लिए गौरव जन्य उपलब्धियां है। प्रबुद्ध पाठकगण के ज्ञानवर्द्धन हेतु प्रगति आंकड़े प्रेषित है-

विविध कानूनी व अन्य विषयों पर 32 लेखों का प्रकाशन।

आयोग द्वारा 18 बुकलेट्स प्रकाशित कर स्कूल लाइब्रेरी में।

आयोग की अनुमति से समाजसेवियों ने करीब 6000 पुस्तकें पुन: प्रकाशित करवाई और नि: शुल्क वितरण की। संविधान आर्टिकल 51 ए की प्रतिभा के 80,000 से ज्यादा कलेण्डर्स और 50,000 पैम्फलेट्स छपवाकर राज्यभर में बंटवाये गये। कुछ संस्थाओं ने तो 4000 व्यक्तियों को ई-मेल भेजकर उक्त अभियान को परवान पर चढ़ाया है। आयोग द्वारा त्रैमासिक न्यूज लेटर का नियमित मुद्रण व प्रकाशन कर प्रोजेक्ट्स को फालोअप किया गया है। आयोग के 5 साल के कार्यकाल में 7 (दो पूर्व के वर्षों सहित) 16 न्यूज लैटर्स के अंक प्रकाशित करवाये हैं और वार्षिक प्रतिवेदन निश्चित समय पर प्रेषित किए गए है।

आयोग के विगत 5 वर्ष के कार्यकाल में राजस्थान में लोकतंत्र व संविधान की आत्मा का स्वरूप निखरा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 ए को आत्मसात कराने में जस्टिस जैन ने व्यक्तिगत ईच्छाशक्ति का प्रदर्शन व निज कर्मपथ को गतिमान बनाया है वह श्लाघनीय ही नहीं अपितु लोकतंत्र के इतिहास में लिखने योग्य स्वर्ण पंक्तिया भी है।

कॉलेज, यूनिवर्सिटी के 40 छात्र-छात्राओं द्वारा आयोग में इन्टर्नशिप के दौरान विभिन्न विषयों पर प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए और तैयार की गई है।

कुछ विद्यार्थियों ने अन्य 14 विषयों पर व फिर 7 विषयों पर जैसे महिलाओं के अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी, बालश्रम, पर्यावरण, रेगिंग, वूमेन ट्रैफिकिंग, कैंसर, एचआईवी एड्स, जुवेनाइल जस्टिस, फीमेल फॉर्टीसाइट, आर्टिकल 51 ए, आयोग व आयोग की गतिविधियों व दिशानिर्देशों पर पॉवर-पाइंट प्रोजेक्ट तैयार किए।

आयोग ने 14 विषयों की सीडी और फिर 7 विषयों की सीडी तैयार की। विद्यार्थियों को अपनी विभिन्न विषयों पर बनाई सीडी संबंधित लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दिखलाई जा रही है। साथ में करीब 23 संस्थाओं ने आयोग द्वारा उपलब्ध कार्य कई कन्सोलीडेटेड सीडी का अपने विभिन्न कार्यक्रमों में आमजन को विविध जानकारी के साथ प्रोजेक्टर पर प्रदर्शन करवाकर विद्यार्थी व आम नागरिकों से अवगत कराने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वह प्रशंसनीय है।

यह उल्लेखनीय है कि आयोग को पिछले 56 महीनों में करीब 17100 परिवाद प्राप्त हुए जिनमें से 16050 परिवादों का तर्कसंगत निष्कर्ष निकालकर निस्तारण किया गया। इस वर्ष भी 3251 दर्ज हुए जिनमें 2714 का निस्तारण किया जा चुका। यह प्रसन्नता का विषय है कि आयोग द्वारा प्रेषित 200 दिशा निर्देशों में राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों ने करीब 160 मामलों में क्रियान्विति कर आयोग को सूचित किया है।

जस्टिस एन.के.जैन (पूर्व मु.न्यायाधिपति मद्रास व कर्नाटक हाईकोर्ट) वर्तमान चैयरपर्सन राजस्थान राज्य मानवअधिकार आयोग ने अपने साक्षात्कार में बार बार यह स्पष्टीकरण दिया है कि मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कर्त्तव्य का निर्वहन समर्पित भाव से किया जाए। क्योंकि एक में ही पुष्पित व पल्लवित हो सकता है। मानव अधिकार संरक्षण, संवर्द्धन व क्रियान्वयन सम्पूर्ण मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकता है। मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह स्वतंत्रता श्रीमद भागवत गीता के अन्दर दर्शायी गई है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोह मुक्त कर उसे अपने कर्त्तव्य निर्वहन के लिए प्रेरित किया और युद्ध के लिए तैयार किया। कृष्ण ने यह भी संदेश दिया

''कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
मा कर्मफल हेतु भूर्मा तेसङ्गोडस्त्व कर्मणि।।''

अर्जुन का कर्तव्य है कि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करे और नपुंसकता त्यागे। युद्ध में हार-जीत की चिन्ता भी अर्जुन को नहीं करनी है क्योंकि फल-उसके हाथ में नहीं है, केवल कर्त्तव्य उसके हाथ में है।

आज हमारा देश विषद संविधान रखता है। उसी प्रस्तावना में मूलभावना दर्शायी गई है। देश के हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ कर्त्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की भी अपेक्षा की गई है। तभी हम संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे और प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा। इसलिए जैसा व्यवहार हम दूसरों से हमारे लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना होगा। विधि विशेषज्ञ व अनुभव सिद्ध जस्टिस जैन अपनी अवधारणाओं में काफी सुस्पष्ट हैं। वे पीड़ितों, महिलाओं, बालकों व वृद्धजनों के प्रति समाज में सुन्दर व्यवहार की अपेक्षा रखते है और सरकार व व्यवस्थापकों से मांग करते हैं कि पीड़ितों व वृद्धों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रपात करे। जो गैर जिम्मेदाराना तत्व या असामाजिक तत्व मानव अधिकारों को क्षति पहुंचाना चाहते है उन्हें उचित दण्ड मिलना चाहिए और समाज में सौहार्द व भाईचारा बचाना चाहिए। जैन धर्म में भी मानव अधिकारों का संरक्षण कर्त्तव्य निर्वहन में ही बतलाया गया है। आयोग द्वारा प्रकाशित ''अणुव्रत एवं मानव अधिकारों'' नामक बुकलेट में छोटी छोटी बातों का पालन करने पर बहुत बड़े अधिकार स्वत: प्राप्त हो जाते है, ऐसा दर्शाया गया है। जस्टिस जैन का मन्तव्य है कि हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थ मानव अधिकारों के संरक्षण एवं मानव मूल्यों के शिक्षण में काफी मददगार है। हमें उक्त ग्रन्थों में से ऐसे प्रकरण खोजकर समाज के सम्मुख रखने चाहिए जिससे स्थाई लाभ मिल सके और हमारा विश्वास बढ़ सके।

वस्तुत: चेयरपर्सन जस्टि एन.के.जैन ने राजस्थान की मानव अधिकारों के लिए जनजागरण करने में अपनी अभूतपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया है। आयोग की पंचवर्षीय प्रगति अभिनन्दनीय है, ऐसा मेरा अभिमत है।

– एम.एल. धौंकरिया

रौनक टाइम्स, दैनिक

E-Mail :
nirmalrounaktimes@gmail.com

मानवाधिकारों के संरक्षण में राज्य मानवाधिकार आयोग ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

जयपुर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य में मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके लिए सतत प्रयासरत है। आयोग ने राज्य की आमजनता के साथ-साथ लोकसेवकों को समर्पित भाव से कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित किया है और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. जैन ने बताया कि यह आयोग कोई समानांतर कोर्ट या सरकार नहीं है, बल्कि लोकसेवकों से केवल अपना कार्य निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ करने की अपेक्षा करता है। उन्होंने बताया कि आयोग शिकायतों की सुनवाई की प्रक्रिया में संबंधित विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर शिकायतों का निस्तारण करता है और समय-समय पर अधिकारियों से विचार विमर्श भी किया जाता है।

जैन ने बताया कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक अनुच्छेद-51 ए में निहित भावों को समझे और उन्हें जीवन में पूरी ईमानदारी और संकल्प के साथ उतारे तो मानवाधिकारों की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से छेड़ी गई मुहिम का अनुसरण करते हुए कई स्कूलों में अनुच्छेद-51 में निहित भावों की पालना करने का संकल्प प्रार्थना के समय प्रतिदिन दोहराया जा रहा है। इसके अलावा आयोग की अपील पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, जयपुर नगर निगम तथा स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इस मुहिम से जुड़कर लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है।

मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि करीब 62 संस्थाओं ने अनुच्छेद-51 के प्रारूप के 20 हजार से ज्यादा केलेण्डर और करीब 80 हजार पैम्पलेट्स छपवाकर राज्यभर में कार्यक्रमों के दौरान बंटवाएं हैं। इस प्रचार-प्रसार से लोगों में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति जागरूकता पैदा हुई है।

उन्होंने बताया कि हर किसी को कानून की सम्पूर्ण जानकारी होना संभव नहीं है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोग की ओर से विविध कानूनी विषयों पर लेख और बुकलेट्स प्रकाशित की गई हैं। इनमें से कुछ को पुनः प्रकाशित करवाया गया है। इसके अलावा कुछ बुकलेट्स को आयोग की अनुमति से राज्य के विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, विभिन्न संस्थाओं, स्कूलों एवं अन्य व्यक्तियों ने अपने प्रियजनों की याद में पुनः प्रकाशित करवाया है।

श्री जैन ने बताया कि महिलाओं के कानूनी अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी, एचआईवी एड्स, मानवाधिकार, संबंधी करीब 70 हजार पुस्तकें आमजन में वितरित की गई हैं, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और शोषण से बच सकें। आयोग की ओर से एक त्रैमासिक न्यूजलैटर भी प्रकाशित किया जाता है, जिसमें आयोग की गतिविधियों सहित सभी नवीन जानकारियां शामिल की जाती हैं।

उन्होंने बताया कि 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा के क्रम संख्या-एक से तीस तक के सभी अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में समाविष्ट कर लिया गया था। इस घोषणा पत्र के आधार पर मानवाधिकारों को भी संविधान में शामिल कर लिया गया। हर प्रकार के अधिकार के लिए उसके अनुरूप एक कर्तव्य भी होता है, जो संविधान की मंशा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1977 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा व्यक्ति के मूल कर्तव्यों को आर्टिकल-51 ए के माध्यम से जोड़ा गया है, लेकिन तीन दशक बाद भी इसकी पूर्ण जानकारी नहीं होने से हर व्यक्ति इसकी भावना के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग इसी दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

अनुच्छेद-51 के अनुसार हमारे कर्तव्य हैं कि हम राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। एकता व अखंडता कायम रखने के लिए आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के प्रति जागरूक रहें और लोगों को जागरूक करें व साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखें। प्राकृतिक स्रोतों यथा वन, झील, नदी और वन्यजीवों की रक्षा करें। स्वयं के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्र के निर्माण एवं सेवा के लिए तत्पर रहें। धर्म, भाषा, प्रादेशिकता एवं वर्ग विभेद के नाम एक-दूसरे के विरोधी नहीं बनें।

SHRI D S MEENA
SHRI PUKHRAJ SIRVI
JUSTICE JAGAT SINGH

SHRI MAHENDRA TIWARI
MS. PRERNA ARORA
JUSTICE N K JAIN

प्रताप जयंती पर हल्दीघाटी में मानवाधिकार
रक्षा का संकल्प 9 मई, रविवार 2010
आयोजक :-
महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दीघाटी
भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान - दिल्ली

"अपराध मुक्त भारत"
केन्द्रीय कारागृह उदयपुर
स्टाफ एवं बन्दीगण

एवं पुलिस
2010
एन.के. जैन

पुलिस
कार एवं पुलिस
26 जून 2010

मानवाधिकारों के प्रति जागरुक रहो

ध्यानाकर्षण

वेद व्यास

> राज्य मानवाधिकार आयोग की पहल का ही आज यह परिणाम है कि आयोग ने सैकड़ों सामाजिक-शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से मानवाधिकारों की प्रदेश में अलख जगा रखी है और यह साबित कर दिया है कि कठिन और जटिल राज्य व्यवस्था के भरोसे न रहकर जनता का मानवाधिकारों के प्रति सशक्तिकरण किया जाए।

हजारों साल के इतिहास में मनुष्य और प्रकृति की सर्वोच्चता का जयघोष पढ़ने, सुनने के बाद आज 21वीं शताब्दी की वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच यदि कोई संकट में है, तो वह मनुष्य और प्रकृति ही है। दुनिया के 192 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार घोषणापत्र को पढ़कर चकित और हैरान है, क्योंकि मनुष्य समाज को खुद अब यह पता नहीं है कि उसका भविष्य क्या है? एक तरफ विज्ञान ने मनुष्य का यंत्रीकरण कर दिया है, तो दूसरी तरफ पूंजीवादी विकास ने समाज का बाजारीकरण कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ही, जहाँ 9-10 प्रतिशत विकास दर की शेखी बघारी जा रही है, वहाँ आज 77 प्रतिशत आबादी केवल 20 रुपये रोज पर जीने को लाचार है। कानून का शासन और मानवाधिकार की सारी बातें हवाई है, क्योंकि आज भी समाज में 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' का संविधान ही लागू है। इस तरह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक न्याय और समानता के सभी सिद्धांत ऐसे लग रहे हैं, जैसे कि हाथी के दांत खाने और दिखाने के अलग-अलग होते हैं।

मानवाधिकारों की मशाल को लेकर भूखे-नंगे आदिवासी-वनवासी तो अब नक्सलवादी बन गए हैं, तो दलित जातियां अम्बेडकरवादी हो गई हैं। कोई उग्रवादी, तो कोई पृथकतावादी हो गया है। ऐसे में आतंकवाद की सारी अवधारणाएं जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता की कोख से ही जन्म ले रही है। पूरे मनुष्य समाज में और प्रकृति की संरचना में इस तरह का जलवायु परिवर्तन आ रहा है कि- अधिकारों के प्रति जागरुकता भी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ कर्तव्यों की इतिश्री भी हो रही है। हिंसा और प्रतिहिंसा के इस कठिन समय में मानवाधिकारों की बातें अब केवल अदालती फैसलों तक सीमित हो गई है। हमें लगता है कि वैश्वीकरण के दौर में मानवाधिकार एक भ्रम है और असमानता एक यथार्थ है।

मानवाधिकार के जंगल में लगी इस आग को बुझाने के लिए राज्य व्यवस्था के अपने संविधान और कानून है, तो अन्याय और शोषण के हथियार चलाने वाले समाज के अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र है। आज साम्राज्यवादी और धर्मभीरु धनी देशों से कोई यह नहीं पूछता कि- वियतनाम पर परमाणु बम गिराने का अधिकार उसे किसने दिया था और फिलस्तीनों को उनकी मातृभूमि से बेदखल किसने किया था और अफगानिस्तान, ईराक और पाकिस्तान को तबाह क्यों किया जा रहा है और खाड़ी के अरब देशों में तथा दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक और आर्थिक हस्तक्षेप की रणनीति कौन थोप रहा है? आज पूरी दुनिया के छोटे-बड़े देश इसीलिए गुलामी के द्वीप समूह बनते जा रहे है कि पूंजी + सैनिक + विज्ञान से लैस कुछ अमीर देश ही गरीब देशों की स्वायत्तता और संप्रभुता को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे में जब राष्ट्र और राज्यों के अधिकार ही लूटे जा रहे हैं, तब भला मनुष्य के अधिकारों की चर्चा यहाँ कौन करेगा? आज भारत में भी मानवाधिकारों को लेकर कोई गंभीर चिन्ता किसी शासन और प्रशासन में इसलिए ही नहीं है कि राज्य व्यवस्था का चेहरा, चाल और चरित्र ही समता और न्याय विरोधी है। यहाँ लोकतांत्रिक सरकारें ही मानवाधिकार की अदालत में सबसे बड़ी अपराधी है तथा पुलिस और प्रशासन कहीं भी संवेदनशील, पारदर्शी तथा जवाबदेह नहीं है। आजादी के बाद 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या से लेकर 2002 में हुए गुजरात के अल्पसंख्यक विरोधी हिंसक उपद्रव भी इस बात के ही गवाह है कि मानवाधिकार के प्रति, राज्य व्यवस्था की पोषित राजनीति में कोई जगह नहीं है। 1984 के दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगे और 25 साल पहले भोपाल की गैस त्रासदी में हजारों बेगुनाहों की मौतें और सांप्रदायिक हिंसा से लथपथ हमारा लोकतंत्र आज तक इस बात पर चुप है कि मानवाधिकारों से इन सभी बेकसूर मरने वालों का भी कोई रिश्ता-नाता था।

इस तरह भारत में मानवाधिकारों की दास्तान इसलिए भी दर्द भरी है कि यहाँ संविधान से लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग जैसे सभी संस्थान तो बने हुए हैं, लेकिन असलियत में ये सभी आयोग निहत्थे और प्रभावहीन है, क्योंकि यहाँ सरकारी संस्थाएं ही सबसे अधिक संगठित मानवाधिकार विरोधी

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993-94 के अंतर्गत मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का मार्च, 2000 में गठन हुआ था। कहने को यह आयोग भी एक स्वायत्तशासी संस्थान है, लेकिन इसकी अभी नियुक्तियां, बजट और दिशा-निर्देशों की अनुपालना राज्य सरकार ही करती है। वर्तमान में अलवर निवासी और मद्रास एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश नगेंद्र कुमार जैन इसके अध्यक्ष है। यह आयोग हर साल अपने कार्यकलापों का प्रतिवेदन भी सरकार और विधानसभा को सौंपता है। अब आप ही बताइए कि क्या आपने कभी इस राज्य मानवाधिकार आयोग की आपबीती कहानी सुनी है और क्या आप इसी तरह राज्य अल्पसंख्यक आयोग, लोकायुक्त, राज्य महिला आयोग अथवा किसी अन्य आयोग की करी-कराई से परिचित हैं? इस स्थिति का सीधा-सा कारण बस यही है कि राज्य व्यवस्था जग दिखाई के लिए, संस्था-दर-संस्था तो बनाती है, लेकिन उसका संरक्षण वह खुद कभी नहीं करती।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नगेंद्र कुमार जैन इस संवेदनहीन वातावरण में समाजोन्मुख होकर जो मानवाधिकारों का जन शिक्षण अभियान चला रहे हैं, हम उसकी तारीफ में आज यही कुछ कहना चाहते हैं कि मानवाधिकार के प्रश्नों को आम जनता और शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से प्रचारित-प्रसारित करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य मानवाधिकार आयोग की पहल का ही आज यह परिणाम है कि आयोग ने सैकड़ों सामाजिक-शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से मानवाधिकारों की प्रदेश में अलख जगा रखी है और यह साबित कर दिया है कि कठिन और जटिल राज्य व्यवस्था के भरोसे न रहकर जनता का मानवाधिकारों के प्रति सशक्तिकरण किया जाए। इसी अभियान के तहत न्यायमूर्ति नगेंद्र कुमार जैन ने अब तक कोई 32 लघु पुस्तिकाएं जन सहयोग से छपवाकर अधिकतर स्कूल-कॉलेजों में वितरित करवा दी है तथा आयोग से एक त्रैमासिक बुलेटिन भी जारी कर रखा है।

अभी हाल में न्यायमूर्ति जैन द्वारा लिखित और संकलित पुस्तक - 'मानवीय मूल्य, कर्तव्य एवं अधिकार' को पढ़कर मुझे यह कहना पड़ता है कि पूरे देश के किसी राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस तरह जन शिक्षक की भूमिका अभी तक नहीं निभाई है। भले ही वर्तमान में इस मानवाधिकार आयोग की रचनात्मक सामाजिक कार्यकर्ता की कार्यशैली को शासन व्यवस्था न समझे, लेकिन मानवाधिकार को लेकर साहित्य का प्रकाशन राजस्थान के लिए एक ऐसा उल्लेखनीय प्रयास है, जो आने वाली युवा पीढ़ी को मानवाधिकारों के लिए जरूर प्रेरित करता रहेगा।

हम जानते हैं कि मानवाधिकार के लिए जारी जन संघर्ष एक निरंतर प्रक्रिया है और किसी सभ्य समाज के निर्माण में मानवाधिकारों का सम्मान होना अनिवार्य है। राजस्थान में अरुणा राय का सूचना का अधिकार और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अभियान भी इसी तरह जनता के बुनियादी अधिकारों को मजबूत करने का ही अभियान है। हमारा यह पूंजीवादी लोकतंत्र आज इसीलिए मानवाधिकारों की अनदेखी करता है, क्योंकि जनता के अधिकारों को मजबूत करने से न्याय, समता और अहिंसा का पक्ष मजबूत बनता है, जबकि, राज्य व्यवस्था प्रायः हिंसा और दमन से चलती है।

राजस्थान क्योंकि आज भी एक सामंतवादी और जातिवादी समाज है- इसीलिए यहाँ सत्ता और व्यवस्था का चरित्र भी शोषण और असमानता पर ही आधारित है तथा सारा खेल ताकत पर आधारित है। पूरी लोकतांत्रिक चुनावी प्रणाली ही यहाँ इस बात की गवाह है कि पुलिस केवल राजनीतिक सत्ता से डरती है तथा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उसके मन में कोई स्थान नहीं है। हमारे प्रदेश में मानवाधिकारों की प्रासंगिकता आज इसलिए भी अधिक है, क्योंकि यहाँ आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाएं ही सबसे अधिक सामाजिक-आर्थिक उत्पीड़न का शिकार है तथा जनशिक्षण का उनमें अभाव है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने इसीलिए जनता के लिए और जनता के बीच और जनता के द्वारा मानवाधिकार तथा कर्तव्यों को- शिक्षण के विकल्प के रूप में चलाया है और राज्य व्यवस्था को याद दिलाया है कि लोकतंत्र की नींव के पत्थर हमारे मानवाधिकार ही है।

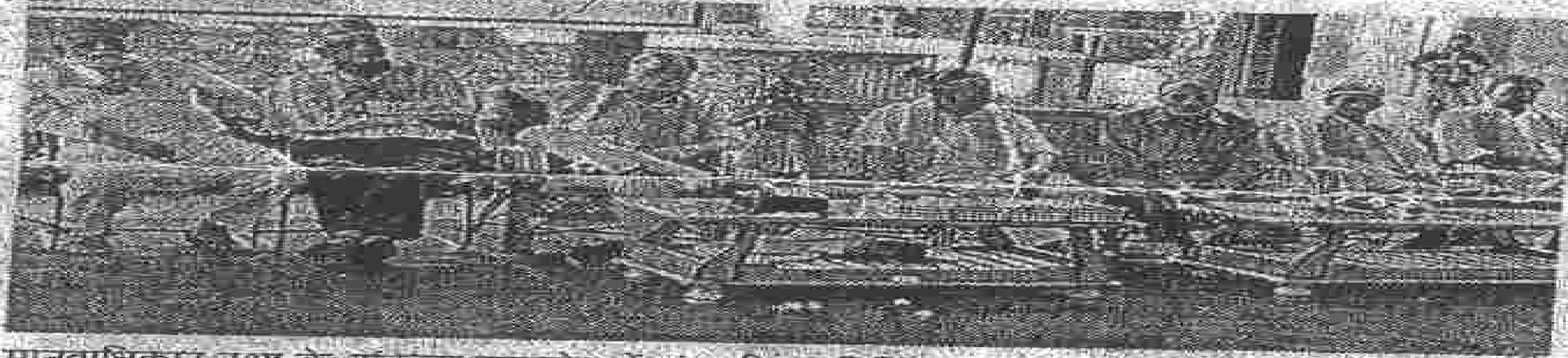

मानवाधिकार रक्षा के संकल्प समारोह में मंचासीन अतिथि। खमनोर

जागरूक रहें अधिकारों के प्रति

मानवाधिकार की रक्षा का संकल्प

एक संवाददाता

खमनोर, 10 मई। कर्नाटक व मद्रास के पूर्व न्यायाधीश व राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन. के. जैन ने कहा कि आमजन अधिकारों के प्रति जागरूक रहें तथा कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहें क्योंकि भारतीय संविधान सभी को समानता, स्वाभिमान व स्वावलम्बन के साथ जीवनयापन का अधिकार भी प्रदान करता है। वे रविवार को निकटवर्ती महाराणा प्रताप संग्रहालय में भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान की ओर से आयोजित मानवाधिकार रक्षा के संकल्प समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मानव के सभी अधिकारों की रक्षा करना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए।

निर्भीक होकर करें शिकायत

उन्होंने कहा कि कहीं भी मानवाधिकारों का हनन होता हो तो निर्भीक होकर आयोग से इसकी शिकायत करें। शिकायत पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी को सोच बदलनी होगी तथा दूसरों के अधिकारों के प्रति भी सकारात्मक सोच रखनी होगी। कहीं भी हो, निर्भीक होकर शिकायत करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रमुख किशनलाल गमेती ने की। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी व संग्रहालय संस्थापक मोहनलाल श्रीमाली ने अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में खमनोर प्रधान पुरुषोत्तम माली, तेजसिंह बान्सी, ओंकार सिंह, संस्था सचिव उमेशचन्द्र शर्मा सहित अनेक अधिकारियों ने कार्यक्रम को सम्बोधित किया।

पीड़ित को मिले जल्द राहत : जैन

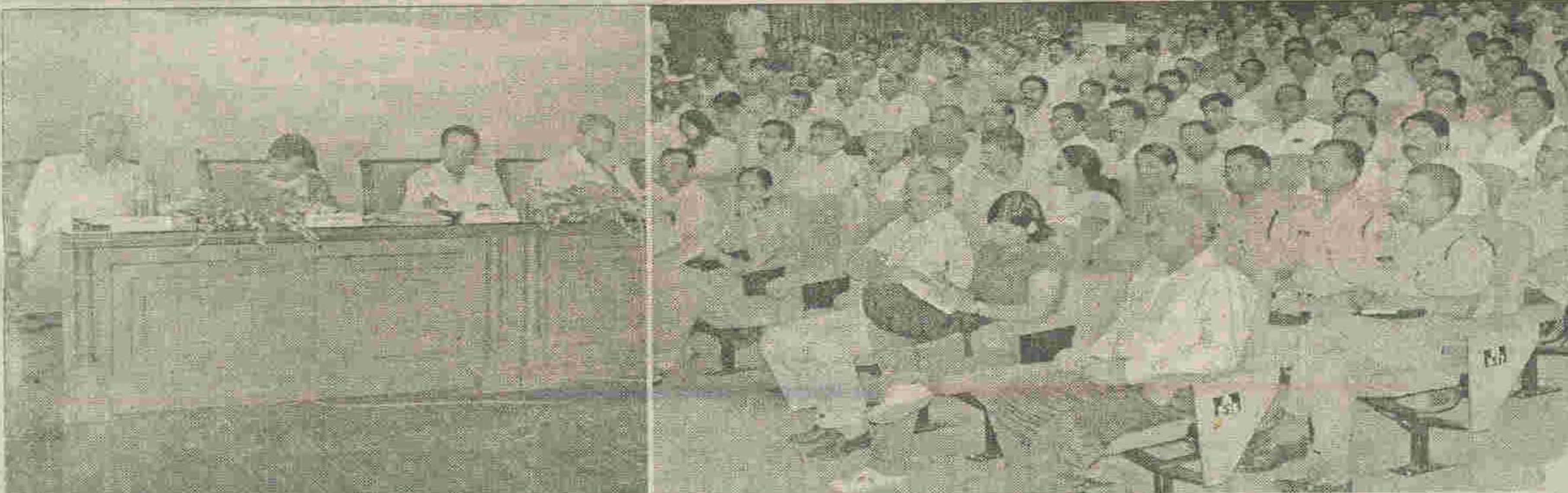

राजस्थान पुलिस की ओर से शनिवार को आरपीए के ऑडिटोरियम में आयोजित 'मानवाधिकार और पुलिस' विषयक संगोष्ठी में भाग लेते पुलिस अधिकारी और मानवाधिकार के अधिकारी।

मानवाधिकार एवं पुलिस पर आरपीए में हुई संगोष्ठी

जयपुर, (कासं.)। महानिदेश पुलिस राजस्थान के निर्देशानुसार अपराध शाखा पुलिस मुख्यालय ने मानवाधिकार एवं पुलिस विषय पर एक संगोष्ठी राजस्थान पुलिस अकादमी सभागार में आयोजित की गई। संगोष्ठी में स्वागत भाषण देते हुए अति. महानिदेशक (अपराध), प्रदीप व्यास ने मानवाधिकार की अवधारणा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने कहा कि पुलिसकर्मियों को थाना स्तर पर ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करनी चाहिए। जिससे पीड़ित व्यक्ति को तुरन्त राहत मिल सके व उसके अधिकारों का संरक्षण हो सके। उन्होंने कहा कि पुलिस जेल व न्यायालय सभी प्रयत्नशील है। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की कि पहले की तुलना में पुलिस अधिकारियों के दृष्टिकोण में काफी बदलाव आया है व थानों में परिवादियों की समस्याओं के निराकरण में तेजी आई है। पुलिस संरचना में आमूलचूल बदलाव की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि जब हम अपने कर्तव्य का निर्वहन सही प्रकार से नहीं करेगें तब तक सुधार संभव नहीं होगा। वहीं संगोष्ठी में पीयूसीएल की महासचिव कविता श्रीवास्तव ने कहा कि मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए पुलिस के सभी स्तरों, थाना स्तर व ग्राम सभा स्तर तक संवाद आयोजित करने की जरूरत बताते हुए कहा कि हमें यह आज के दिन यह संकल्प लेना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार श्याम आचार्य ने कहा कि मानवाधिकार सबसे ज्यादा पुलिस से जुड़े हुए हैं। आचार्य ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संवेदनशील व प्रशिक्षित हैं लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत सिपाहियों व बन्दियों के प्रहरियों के लिए इस प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित करना ज्यादा जरूरी है। खुले सत्र में प्रतिभागियों ने अवैध मानवाधिकार संगठनों पर रोक लगाने, मानवाधिकार आयोग को और सक्षम बनाने, तहसील स्तर पर इस प्रकार के आयोजन किया जाना आवश्यक है। संगोष्ठी के समापन पर पुलिस महानिदेशक हरीशचन्द्र मीणा ने समस्त सुझावों पर अमल करने का विश्वास दिलाते हुए आगंतुको का आभार व्यक्त किया। अन्त में महानिरीक्षक पुलिस मानवाधिकार एन. मोरिस बाबू ने संगोष्ठी में पधारे हुए अतिथियों, वक्ताओं, पुलिस अधिकारियों, सीएलजी व शांति समिति के सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर महानिदेशक पुलिस (कारागार), ओमेन्द्र भारद्वाज, महानिदेशक पुलिस (नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा के.एस.बैंस) अति. महानिदेशक पुलिस, कपिल गर्ग, सुधीर प्रतापसिंह, भाष्कर चटर्जी, महानिरीक्षक पुलिस आलोक त्रिपाठी, रामफलसिंह, मेघवाल मीणा, बी.एल. सोनी व निदेशक आर.पी.ए. डॉ. भूपेन्द्र सिंह व अन्य पुलिस अधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

जयपुर

थाना स्तर पर मिले राहत

मानवाधिकार एवं पुलिस विषय पर सेमिनार

नगर प्रतिनिधि

जयपुर, 26जून। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एनके जैन ने कहा कि पुलिस को थाना स्तर पर ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करनी चाहिए, जिससे पीड़ित व्यक्ति को तुरंत राहत मिले व उसके अधिकारों का संरक्षण हो सके।

वे पुलिस अकादमी स्थित ऑडिटोरियम में शनिवार को अपराध शाखा पुलिस मुख्यालय द्वारा मानवाधिकार एवं पुलिस विषय पर आयोजित सेमिनार को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पुलिस, जेल प्रशासन और न्यायालय मिलकर मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील हैं। पुलिस संरचना में आमूलचूल बदलाव की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन जरूरी है।

वरिष्ठ पत्रकार श्याम आचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि मानवाधिकार सबसे ज्यादा पुलिस से जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील हैं परंतु सिपाहियों और बंदियों के प्रहरियों के लिए इस प्रकार के सेमिनार का आयोजन जरूरी है। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पी. फारूखी ने कहा कि समाज में ज्यादातर कमजोर तबके के मानवाधिकारों का हनन होता है। पुलिस महानिदेशक अमिताभ गुप्ता, पीयूसीएल की महासचिव कविता श्रीवास्तव और वरिष्ठ पत्रकार ईशमधु तलवार ने भी सेमिनार को संबोधित किया। सेमिनार के समापन पर पुलिस महानिदेशक हरीश चन्द्र मीना ने सभी सुझावों पर अमल करने का विश्वास दिलाया।

कार्यक्रम के अंत में महानिरीक्षक पुलिस (मानवाधिकार) एन. मोरिस बाबू ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों, वक्ताओं, अतिथियों, सीएलजी व शांति समिति के सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर महानिदेशक पुलिस (कारागार) ओमेंद भारद्वाज, महानिदेशक पुलिस (नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा) केएस बैंस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कपिल गर्ग, सुधीर प्रताप सिंह, भास्कर चटर्जी, महानिरक्षक पुलिस आलोक त्रिपाठी, रामफल सिंह, मेघ चंद मीणा, बीएल सोनी एवं निदेशक आरपीए डॉ. भूपेन्द्र सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

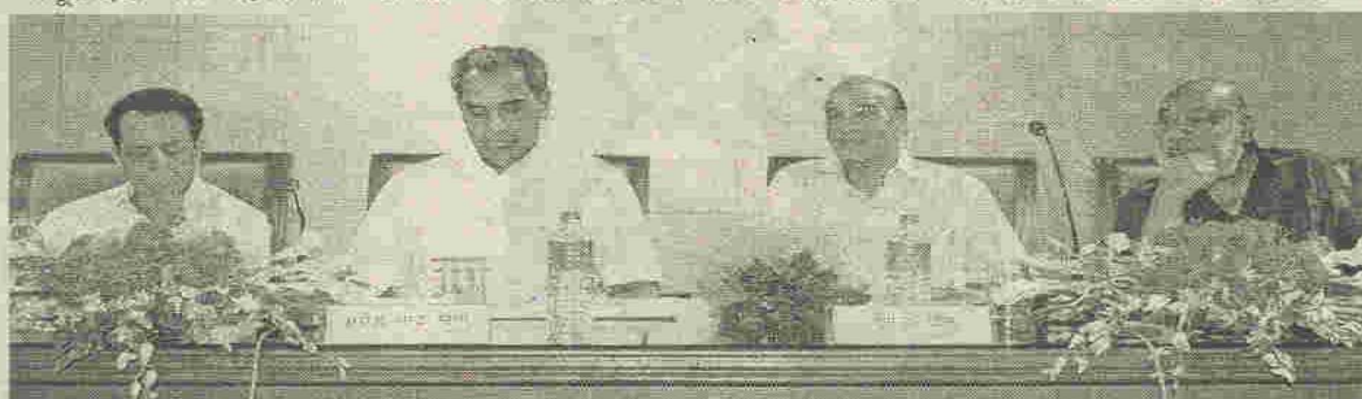

संगोष्ठी में मंचासीन अतिथि। प्र

Seminar on human rights and police

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: A seminar titled 'Human Rights and Police' was organised by the crime branch of the state police at Rajasthan Police Academy (RPA) on Saturday. In the seminar, which was attended by chairperson of State Human Rights Commission (SHRC) Justice A K Jain and DGP Harish Chandra Meena and NGO representatives, various aspects of human rights, their violation and police's duty to protect them were discussed.

A K Jain said a work culture should be developed at the level of police station to provide immediate relief to a victim and protect his rights . He expressed satisfaction over the fact that police officers' views about human rights have changed over the past few years and cases are being disposed of faster.

Former DGP Amitabh Gupta said the human rights of the criminals as well as the victims have to be protected. He said FIRs should be lodged in police stations promptly. At the end of the seminar DGP Meena assured everyone to consider suggestions given by the speakers.

'थानास्तर पर बदले कार्य संस्कृति'

जयपुर . मानवाधिकार का सबसे ज्यादा संबंध पुलिस से है। पुलिसकर्मियों को थाना स्तर पर ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करनी होगी जिससे पीड़ित को राहत मिले साथ ही उसके अधिकारों का संरक्षण हो। ये बात राजस्थान पुलिस अकादमी में शनिवार को मानवाधिकार एवं पुलिस विषय पर आयोजित सेमिनार में सामने आई। सेमिनार के मुख्य वक्ता राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन के जैन थे। सेमिनार में पूर्व पुलिस महानिदेशक अमिताभ गुप्ता , पुलिस महानिदेशक हरीश चन्द्र मीणा, महानिदेशक (जेल) ओमेन्द्र भारद्वाज, महानिदेशक (नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा) के एस बैंस, अतिरिक्त महानिदेशक (अपराध) प्रदीप व्यास, अतिरिक्त महानिदेशक कपिल गर्ग, महानिरीक्षक (जयपुर रेंज प्रथम) बी एल सोनी व आरपीए के निदेशक डॉ. भूपेन्द्र सिंह समेत अन्य मौजूद थे।

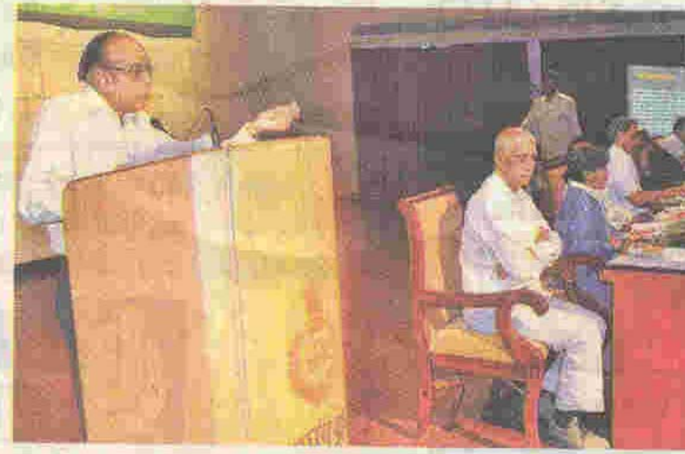

आरपीए सभागार में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते डॉ. एन.के. जैन।

मानवाधिकार एवं पुलिस विषय पर गोष्ठी

नगर संवाददाता. जयपुर

पूर्व डीजीपी अमिताभ गुप्ता ने मानवाधिकार को महज एक खानापूर्ति बताते हुए कहा कि सबसे पहले हमारी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। अगर देश की सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को पकड़कर पूछताछ भी की गई तो इसमें मानवाधिकार को आड़े लाना हमारी कमजोरी होगी। वे राजस्थान पुलिस की ओर से नेहरू नगर स्थित आरपीए में शनिवार को आयोजित संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हम महज कुछ लोगों को लेकर मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, हमें मिलावटी दूध पिलाया जा रहा है, मिलावटी सामान खिलाया जा रहा है, ऐसे में कहां है हमारा मानवाधिकार? अगर पुलिस पूछताछ के लिए किसी को एक दिन के लिए बुला लेती है तो हम मानवाधिकार की बात करने लग जाते हैं, लेकिन थाने का सिपाही जिसे अपने परिवार से मिले हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो जाता है, उसके लिए मानवाधिकार की बात क्यों नहीं की जाती।

मानवाधिकार एवं पुलिस विषय पर आयोजित संगोष्ठी में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने कहा कि पुलिसकर्मियों को थाना स्तर पर ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए, जिससे पीड़ित व्यक्ति को तुरंत राहत मिल सके और उसके अधिकारों का संरक्षण हो सके। संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकार श्याम आचार्य, ईशमधु तलवार, राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पी. फारुकी ने भी विचार व्यक्त किए।

आयोग द्वारा विभिन्न विभागों का उनके नियमित कार्यो की निरन्तर मोनिटरिंग करने बाबत् निर्देश

आयोग द्वारा विभिन्न परिवादों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए जैसे– मंदबुद्वि व्यक्तियों के ईलाज, पर्यावरण सुरक्षा, बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा भूख व कुपोषण से होने वाली मौतों पर नियंत्रण करने आदि। साथ ही, असहाय, मंदबुद्वि, मनोरोगी, निःशक्तजन एवं लावारिस लोगों की निःशुल्क चिकित्सा व अन्य सुविधा के लिए भी कोई योजना बनाने और जब तक सुचारू योजना लागू ना हो, ऐसे पीडितों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए किसी भी कल्याणकारी योजना के तहत् उन्हें लाभांवित करने। इसके अलावा हिरासत में होने वाली मौत की एफ.एस.एल. रिपोर्ट्स के प्राप्त होने में अनावश्यक विलम्ब तथा आवश्यक सेवाओं में रिक्त पदों की पूर्ति, शहरों में सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई समय पर कराने, विभिन्न विभागों द्वारा सडकों की खुदाई व शीघ्र मरम्मत के लिए आपसी समन्वय, अतिक्रमणों की रोकथाम के साथ–साथ शहर में पार्किंग व्यवस्था सुचारू एवं सुव्यवस्थित करने, विवाह स्थलों पर सफाई एवं पार्किंग की नियमानुसार व्यवस्था, लोकमित्र मे बिलों की जमा की प्राप्ति रसीद साफ व गहरी प्रिंटिंग वाली देने, जन सुविधा केन्द्र बनाने, पॉलिथिन की थैलियों के प्रयोग पर रोकथाम, मेलों में मानवाधिकारों की जानकारी आदि के लिए भी समय–समय पर राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए जाते रहे हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य के सभी अस्पतालों में मशीनों एवं उपकरणों की समय पर मरम्मत व रख–रखाव करने, एच0आई0वी0 पीडित/ किडनी पेशेन्ट के ईलाज, कैंसर पीडित के लिए सोर्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने, जेलों में बंदियों को नियमानुसार दिए जाने वाली सुविधाऐं सुनिश्चित करने, बहुमंजिला भवनों में पार्किंग सुविधा, बिजली के खुले एवं नंगे तारों तथा ट्रांस्फारमर को सुव्यस्थित करने, आवारा पशुओं को आम रास्तों व सडकों से हटाने, पेंशनर्स को समय पर ईलाज व दवाईयां मुहैया कराने, मासूम छोटे स्कूली बच्चों के स्कूल बैग का बोझ कम करने, स्कूलों का समय तर्कसंगत करने, स्कूलों में पानी, बिजली, शौचालय की माकूल व्यवस्था करने और बच्चों को लाने–लेजाने वाले ऑटो– टेम्पों, वैन आदि में बच्चों को जगह से कहीं अधिक मात्रा में नहीं भरकर ले जाने की सुव्यवस्था, इसके अलावा कई अन्य तथा कठपूतली नगर ज्योति नगर में रहने वाले व कठपूतली का तमाशा दिखाने में कार्यरत लोगों के लिए कठपूतली ग्राम बनाने पर विचार करने, बूस्टरों का अवैध प्रयोग रोकने, के सम्बन्ध में निर्देश दिए है।

इसके अलावा आयोग के आदेशों की अनुपालना में महानिदेशक (पुलिस) के द्वारा दिए गये दिशा– निर्देशों के बावजूद पुलिस थानों में एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की जाने की शिकायतों पर अन्य संस्थाऐं बिला वजह अनुसंधान कर अपनी रिपोर्ट आयोग को परिवाद के रूप में भेजती है। इसलिए पुलिस का यह दायित्व है कि वह परिवादी की शिकायत पर तुरन्त एफआईआर दर्ज कर, निष्पक्ष व त्वरित अनुसंधान करें। पुलिस थानों में फरियादियों के साथ अच्छा सलूक करने तथा जिला एवं पंचायत स्तर पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान चलाने आदि के लिए भी आयोग ने समय–समय पर विभिन्न परिवादों में निर्देश जारी किए, साथ में लोगों से यही अपेक्षा की है कि मानव अधिकारों के संरक्षण करें, यह किसी का अधिकार है, तो किसी का कर्तव्य, दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। सुशासन के लिए अधिकारीगण से अपेक्षा की है कि वह जनहित में कार्य करें, लोक सेवकों के साथ–साथ यह आम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वह लोक सेवकों को कर्तव्य निर्वहन में सहयोग देवें जिससे काम में पारदर्शिता व संवेदनशीलता बनी रहे और आम नागरिकों को परेशानी न हो तथा निरन्तरता के लिए मोनिटरिंग करते रहे।

"It has always been a mystery to me how men can feel themselves honoured by humiliation of their fellow beings."

"There is a higher court than the court of justice and that is the court of consciousness. It supersedes all other courts"

- Mahatma Gandhi

Bibliography

YAHOO! INDIA

Google

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
सर्वे भवन्तु सुखिनः
NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

WIKIPEDIA

Thank You